

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28, अगस्त, 1978

खण्ड 2, अंक 1

विशय सूची

सोमवार, 28 अगस्त, 1978

पृष्ठ संख्या

अध्यक्ष द्वारा घोशणा:-	
श्री अयोध्या प्रसाद विधायक के सर्व्णवास होने के सम्बन्ध में	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)9
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1)34
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)39
घोशणांये:-	
(क) अध्यक्ष द्वारा	(1)46
(ख) सचिव द्वारा	(1)44
स्थगन प्रस्ताव	(1)47
वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम कि त)पे ा करना	(1)50

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 अगस्त, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

श्री अयोध्या प्रशद विधायक के स्वर्गवास होने के संबंध में।

Mr. Speaker: I have to inform the House with deep sorrow that Shri Ayoudhya Prashad, a Member of the Haryana Vidhan Sabha representing Narnaul Assembly constituency of the Mohindergarh District, died on the 20th August, 1978. अब औबचुयरी रिफेन्सिज होंगे।

भाक प्रस्ताव

उद्योग मंत्री(डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, विधान सभा की पिछली बैठक के बाद और आज तक के बीच में संसार की, देा की और प्रदेा की कुछ महान हंस्तियां इस संससार से

चली गई। आज के सर्वोत्तम धार्मिक नेता पोप पाल छटे का निधन 6 अगस्त, 1978 को हुआ। आपका जन्म उत्तरी इटली के एक गांव में 1897में हुआ था और उन्होंने सन्यासी का बाना 1920 में पहजन। उन्होंने जार्जियन इंस्टीच्यूट और रोम यूनिवर्सिटी में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। उसके उपरान्त विभिन्न चर्चों के बहुत उच्च पदों पर आसीन रहे। 1953 में सबसे पहले मिलान के आर्चबिशप के पद पर वे आरूढ़ हुये और 1963 में वे पोप के पद पर नियुक्त हुये। स्पीकर साहब, वे पन्द्रह वश तक लगातार आज के महानतम सिंहासन पर भाोभायमान रहे। वे संसार में विनम्रता, दया भाव के लिये विख्यात ही माने जायेगें। उन्होंने कभी भी अन्याय के साथ अनुचित बात के साथ और बुराई के साथ समझौता नहीं किया। आर्थिक न्याय, भ्रान्ति तथा एकता उनके दैनिक के मूलमन्त्र थे। स्पीकर साहब, हमारे लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी भारत में नवीन स्वाधीनता के उदगाता है, 1968 में पोप साहब ने उनको दैनिक दिए थे और आज उनके संसार से चले जाने से विश्व ने एक महान उदारत्मा और सांसारिक धन-दौलत के परम त्यागी को खो दिया है।

स्पीकर साहब, अभी-अभी सदन में आसन सम्भालने के बाद खड़े होकर जो एक पहला दुखद समाचार औपचारिकता को पूरा करते हुये आने सुनाया वह इस सदन के माननीय सदस्य हमारे साथी श्री अयोध्या प्रसाद जिनका स्वर्गवास 20 अगस्त को हो गया, के बारे में था। कुछ दिन पहले मोटर साईकिल पर वे आ

रहे थे कि अचानक मोटर साइकिल से फिसल गये और चोट लगने से अचेत हो गये। कई दिन तक आल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट में बेहो ा पड़े रहे हमारे कई साथी उनसे मिलने गये और जो भी दवा उपलब्ध हो सकती थी, उपचार हो सकता था, इलाज हो सकता था पूरा करने के बाद भी हम उनको बचा नहीं सके। स्पीकर साहब, अयोध्या प्रसाद का जन्म 1921 में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा नारनौल में पूरी की ओर प्रारम्भ से उनके विचार क्रांतिकारी थे। पिछड़े हुए लोगों के लिए, दबे हुये लोगों को उपर उठाने के लिए, निर्धन लोगों की भलाई के लिए तथा समाज में जो विशमता है, जो इकोनौमिक डिसपैरिटी है उसके विरुद्ध सदा अपना झंडा बुलन्द रखा। समाजवादी विचारों में उनकी आस्था थी और स्पीकर साहब, मुझे तो पिछले तीन वर्षों से उनके द र्शन करने का मौका मिला है। उनका साधारण सा व्यावसाय घडी बनाने का था। उसी में अपने परिवार की जीविका, चलाने, सादा जीवन और संघर्षरत जीवन बिताते हुये वे कई बार जेल गये। वे ब्रिटि ा साम्राज्य को खदेड़ने के लिए और एमर जेंसी को हटाने के लिए सत्याग्रह करते रहे। जनता पार्टी ने उचित ही ऐसे संघर्ष करने वाले और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले राजनैतिक कार्यकर्ता को जनता पार्टी का टिकट दिया था और उस क्षेत्र की जनता ने बड़े भारी बहुमत से उनको जिताया था। जीतने के बाद स्पीकर साहब वे अपने पद पर चौदह महीने रहे। एम.एल. ए. बनने के बाद उनके जीवन के रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं आया। नको जहां भी कोई चीज वसन्द नही आई उसको उन्होंने

निर्भीकता से कहने मउं कोई संकोच नहीं किया। स्पीकर साहब, ऐसा निर्भीक नेता जो जीवन भर एक बडा अच्छा राजनैतिक कार्यकर्ता रहा हो उसका हमसे जुछा हो जाना सूचमुच बडे रंज की बात है लेकिन विधाता का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन इस संसार से जाना है।

इसी प्रकार इस सदन की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती औमप्रभा जैन जो मेरे साथ 1957 में पहली बार पंजाब विधान सभा के लिए कैथल चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी और पहले वह स्वास्थ्य विभाग में उपमंत्रि रही और हरियाणा बनने के बाद वे हरियाणा की वित्त मेन्त्री रही और कैथल चुनाव क्षेत्र को सदा रिप्रेजेन्ट किया। वे उच्चतम शिक्षा प्राप्त थी। उन्होंने एम.ए.एल. एल.बी. की हुई थी। उनके पति एक अच्छे विख्यात डाक्टर थे और उस हमारी बहन ने अपना राजनैतिक जीवन एक बडा आदर्श का जीवन रखा। वे सदैव विधायकों के साथ तथा जनता के साथ बडी मिलनसारी का बर्ताव करती थी। और अपना जीवन स्तर नीचे नहीं आने दिया। वे अपने चुनाव क्षेत्र में जा रही थी कि रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। पीछे से गाडी आ गई और दुर्घटना होने के कारण वह बहन, समय से पहले संसार से विदा हो गई। उस परिवार में पहले भी एक दुखद घटना हो चुकी है जिसमें उनके पति कुछ वर्ष पहले स्वर्गवास हो गये थे। अब उस बहन के निधन से सारे सदन को उनके परिवार से बडी सहानुभुति है और बडा भारी रंज है।

इसी प्रकार रोहतक जिले के एक बड़े महान प्रतिष्ठित महानुभाव श्री रामसरूप जी का निध 15 मई, 1978 को हुआ था। रोहतक तहसील में ही खडवाली उनका गांव था। वे बड़े ही आदरवादी व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी बुराई से जीवन में समझौता नहीं किया। बंटवारे से पहले वे जिसे धारा सभा कहते थे के मेंबर थे। पंजाब असेम्बली में वे दो बार चुने गये और इस समय में जमीदार क्षेत्र में वे बड़े प्रभावी व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा में बड़ी क्रांति लाई। स्वर्गीय सर छोटूराम से उनका गहरा सम्बन्ध था। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया, बल्कि दबे हुये पिछड़े किसानों की भलाई के लिए बड़ा काम किया। वे बड़े ही स्पष्टवादी और बड़े ही आदरवादी थे। स्वाधीनता के बाद सांपला चुनाव क्षेत्र से एक बार पंजाब विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। स्पीकर साहब, जहां उनका राजनैतिक जीवन बड़ा ही प्रखर था, आदरवादी जीवन था वहां वे बड़े धर्म भीरु थी थे। मैं उनकी कुटिया में उनसे मिलने जाया करता था। दिन के समय नित नियम से, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो उनके पास पांच सात बुजुर्ग बैठे किया करते थे और वे कहते थे कि तुम तो नाम मात्र के ईश्वरवादी हो और मैं एक कर्मकान्डी आदमी हूँ। स्पीकर साहब, उनके निधन पर हमें और इस सारी हरियाणा प्रदेश की जनता को दुख है।

इसी प्रकार हमारे पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री भान्ति स्वरूप धवन 4 अगस्त को इस संसार को छोड़ कर चले

गये। धवन साहब बड़े ही समाजवादी प्रवृत्ति के थे। उनका जन्म पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में 1905 में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर में पाई उसके पचास चारत कैम्ब्रिज तथा हैडलबग (जर्मनी) विविद्यालयों में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री धवन ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में बतौर एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू की और इलाहाबाद विविद्यालय में वे कानून के लेक्चरर के पद पर भी कार्य करते रहे और वे सबसे पहले वहां की हाईकोर्ट के जज बने। 1968 में उन्हें ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया और अन्तिम दिनों में वे पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर विराजमान थे। जहां वे अच्छे वकील थे वहां एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन और एक अच्छे जज भी थे। स्पीकर साहब, खेलों में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनके निधन से देश एक प्रख्यात विधिवक्ता तथा प्रबुद्ध राजनितिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है और देश ने एक जुरिस्ट और एक एबल स्टेट्समैन खो दिया।

इसके साथ-साथ स्पीकर साहब एक और महान हस्ती श्री परमानन्द गोबिन्दजी वाला, संसद सदस्य जिनका निधन 24 जुलाई, 1978 को हुआ, वे खण्डवा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये चुने गये। उनका सारा जीवन जनता की भलाई के लिये ही बीता। उन्होंने नागपूर और सागर विविद्यालयों से अपनी बी.ए.,

एल.एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में विलय करने के लिये बड़ा भारी संघर्ष किया। स्पीकर साहब, वे बड़े अच्छे लेखक भी थे। वे 1951 से जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे थे। उनके निधनसे यह देश निश्चित ही एक सुयोग्य व्यक्ति की सेवाओं से वंचित हो गया है।

स्पीकर साहब, एक और महान हस्ती सन्त निचल सिंह महाराज, जिनका निधन 23 अगस्त, 1978 को हुआ, वे एक बहुत बड़े सुदासय के प्रवर्तक थे जिनके चमुनानगर में मैनें दर्शन भी किये थे। उन्होंने कई संस्थायें भी बनाई थी और कई कालेजों की उन्होंने स्थापना भी की थी। स्पीकर साहब, उनका जीवन भुद्ध था। वे लगभग 100 वध्र की आयु में स्वर्ग सिधारे। संस्कृत के बड़े ही जाने माने ज्ञाता थे। उनके निधन से हरियाणा ने एक विद्वान ओर महान आध्यात्मिक सन्त को खो दिया है। स्पीकर साहब, एक हमारे भारत के माने हुये खिलाडी श्री वीनू मांकड जो कि क्रिकेट में संसार भर में अपना विशेष स्थान रखते थे, 21 अगस्त, 1978 को उनका निधन हो गया। 1951-52 में हुये लार्डज के टैस्ट मैच में उनकी सफलता सदा ही स्मरणीय रहेगी जब उन्होंने बतौर बल्लेबाज और बालर के रूप में विशेष कौशल दिखाया था। वे सदा ही नई पीढी को प्रेरणा देते रहे। उनके निधन से हमारा भारत देश एक महान आलराउण्डर टैस्ट क्रिकेट खिलाडी से वंचित हो गया है।

श्री जोमो केन्याता, जो कि केनिया के राष्ट्रपति थे, का निधन 22 अगस्त, 1978 को हुआ।। उनका जन्म केनिया में हुआ। उन्होंने स्कूल का जीवन समाप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अनुवादक का काम किया और जब राष्ट्रीयता को वास्तविक रूप में कोई भी नहीं जानता था, उस समय श्री केन्याता जनता को स्वतन्त्रता के अधिकार का प्रचार कर रहे थरे और उन्होंने आत्मनिर्णय की भावना के लिये यंग एसोसिएशन बनाई श्री जोमो केन्याता ब्रिटिश उपनिवेशों के विरुद्ध 1950 में चलाये गये 'माऊ-माऊ आन्दोलन' के नेता बन गये जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपनी पावन धरती से खदेडा और 1964 में वे वहां के पहले अध्यक्ष बने और उस के एक वर्ष बाद ही केनिया को स्वतन्त्रता मिल गई थी। वे अन्तिम दिनों में वहां के राष्ट्रपति चले आ रहे थे। श्री केन्याता के निधन से विकास पीलेंदों ने विस्तृत दृष्टिकोण और उदार विचारों वाले एक महान नेता को खो दिया है। स्पीकर साहब, मैं इन सारे महानुभावों, इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ सदन से निवेदन करूंगा कि इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करते हुये उनके परिवारों के सदस्यों को सहानुभूति के सन्देश भी दिये जाएं।

राव बीरेन्द्र सिंह(अटेली): स्पीकर साहब, मेरे दोस्त डा० मंगल सैन जी ने जिन लोगों के निधन पर भाोक प्रकट किया है, वे बहुत ही नामवर हस्तियां थी और उनमें से कुछ में बहुत नजदीकी और जाने पहचाने साथी थे। अगस्त का महीना ऐसा

मनहूस साबित हुआ है कि बड़ी-बड़ी महान आत्माओं को इसने हमसे छीन लिया है। आज पोप पाल 18म के निधन पर सारी दुनिया भाोक म?ना रही हैं वे 70 करोड लोगों के बहुत बडे साम्प्रदाय के , मजहब के लीडर थे और दुनिया की सियासत पर, समाज पर उनका असर था। इसी तरह से केनिया के राष्ट्रपति थे, उनका स्वर्गवास भी हो गया। हमारे अपने दे 1 में दुनिया में माने हुये खिलाडी वीनू मांकड, जिन्होंने खेल के मैदान में इस दे 1 का नाम उंचा किया और जो हमारे नौजवानों को इस बारे में बडी प्रेरणा देते थे, वह भी हमारे बीच से उठ गये। इसी तरह से स्पीकर साहब, हमारे साथी अयोध्या प्र 11द जी जोकि इस हाउस के मोअजिज मेम्बर थे और जिन्होंने अपने पीछे बडी छाप छोडी है , किस प्रकार पहली बार इस असैम्बली के मैम्बर बनने के बाद, वह जिस हर दिल अजीजी से असूल परस्ती और सहीं ढंग पर चले सच्चाई के उपर मजबूती से कायम रहे, यह हमे 11 ही याद रहेगा। वे मोटर साईकिल पर आ रहे थे जबकि उनका एक्सीडेन्ट हुआ। स्पीकर साहब, जब कि आज के वक्त में मैम्बर बने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद हम चाहते है कि हम मोटर में चलें, अच्छे मकान बनायें, पैसा कमायें लेकिन वह हमारे साथी अपनी उसी छोटी सी दुकान पर बैठे वही कार्य करते रहे, वही पुरानी मोटर साइकिल उन्होंने अपने पास रखी। उनके निधन से राज्य ने इस हाउस ने और हरियाणा की जनता ने एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी खो दिया है। यह हाउस दिवंगत आत्मा के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है। इसी

प्रकार बहन औमप्रभा जैन सन 1957 में पजांब असैम्बली में हमारी साथी थी। वे बड़ी लग्न के साथ लोगों का हर कार्य करती थी। उनके दिल में लोगों के भले के लिए बड़ा स्थान था, उनको मैं बहुत नजदीक से जानता था। उनकी मृत्यु से हमारा राजय एक कुल होनहार राजनीतिज्ञ महिला से वंचित हो गया है। इसी तरीके से डाक्टर साहब ने और जिन हस्तियों के नाम लिये उन सब के प्रति मैं भी हाउस के साथ भाोक में भामिल होता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, आज मन बहुत दुखी है। इस सदन में साथी अयोध्या प्रसाद का अभाव रह रह कर खटक रहा है। कहने को तो सदन में केवल एक सीट खाली हुई है जहां साथी अयोध्या प्रसाद जी बैठते थे लेकिन वास्तव में आज अपनापन ही खाली महसूस हो रहा है। वे एक बेहद अकेलेपन का एहसास छोड़ गये हैं क्योंकि वे केवल इस सदन कही सदस्य नहीं थे बल्कि वे सच्चे मायनों में हमारे साथी भी थे। आज मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वह थोड़ी होगी। अपने लोगों को अपने मुंह से सराहना अच्छा नहीं लगता है फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस राजनैतिक क्षेत्र में जिसे कि निहित स्वार्थ का अखाडा माना जाता है, यह राजनीति जहां छोटें-छोटे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये लोग बिक जाते हैं उस दलदल में, साथी अयोध्या प्रसाद कीचड़ में कमल के समान थे। वे एक निस्वार्थी निर्भीक और बेलाग व्यक्ति थे। अध्यक्ष महोदय, आप तो उनकी भाव-यात्रा के साथ थे और आपने अपनी आंखों से वह

नजारा देखा था कि नारनौल का कोई बच्चा, बूढा जवान या स्त्री ऐसे नहीं थे जिन्होंने उस महापुरुष के अन्तिम दिन नहीं किये। वहां लोगों ने उनको ये भाब्द कह कर श्रद्धांजलि दी थी कि नेता हो तो ऐसा हो, सच्चा आदमी हो तो ऐसा हो, ईमानदार आदमी हो तो ऐसा हो। अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के बाद किसी आदमी को इससे ज्यादा और क्या चाहिये? मुझे उस दिन डा० राममनोहर लोहिया जी की एक बाद याद आई थी। उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे जिन्दगी मे कोई भी इच्छा नहीं है, कोई आंकाक्षा नहीं है। केवल एक इच्छा है कि अगर मेरी मृत्यु के बाद गरीब लोग यह कह दें कि लोहिया हमारा अपना आदमी था तो मैं सयमझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात का गर्व है कि डा० लजोहिया के लिये तो हिन्दुस्तान के गरीब ने ऐसा कहा ही था लेकिन आज वह लोहिया का अनुयायी भी अपने पीछे यह कहलवा गया कि अयोध्या प्रसाद हमारा अपना आदमी था। आज मैं अपने उस साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

इसके साथ-साथ में अपनी बहिन औमप्रभा जैन को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं। वे एक कुशल प्रगाथिका और बेहद मिलनसार महिला थी। हरियाणा की विविश्ट महिलाओं मे उनका नाम था और मुझे तो उनका बहुत ही स्नेह प्राप्त था। आज उन्हें भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसके साथ-साथ डाक्टर साहब ने जितने भी और भाोक-प्रस्ताव रखे है मैं उन सब के परिवारों के साथ सहानूभूति

रखती हूं और दिवंगत नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन जी ने जो भाोक—प्रस्ताव रखा है और जिन दिवंगत नेताओं को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके मत के साथ मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की औरसे सहमत हूं और उन्हें श्रद्धांजलि पे ा करने के लिये खडा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अयोध्या प्रसाद जी के बारे में काफी कुछ कहा गया जोकि बिल्कुल सच्च हैं मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री अयोध्या प्रसाद जी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे जिनकी कि घड़ी मुरम्मत या घड़ी बनाने की दुकान थी। उनकी मृत्यु 13-14 महीने एम.एल.ए. रहते हुये हुई हैं। मैं हाउस के लीडर यानी मुख्यमंत्री जी को वह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे आदमी की मृत्यु के बाद जिसका कि जीवन इतना अच्छा रहा हो उसके परिवार के लिये हमें कुछ माली मदद करनी चाहिये। इसके साथ-साथ मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसी सै ान में सरकार एम.एल.एज. के लिये पैन ान और अलाउंस के बारे में एक बिल ला रही है उसमें यह रखा जाये कि जो मँबर आफिस में रहते रहते स्वर्गवास हो जाये उसके परिवार के सदस्यों को उसकी पूरी टर्म के बराबर की पैन ान मिलना चाहिये। साथी अयोध्या प्रसाद जी आज इस संसार में नहीं है अगर उनके परिवार के सदस्यों के लिये कुछ न कुछ मदद हो जाये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके

बाद श्रीमती ओमप्रभा जैन जिनका कि हरियाणा के राजनैतिक नेताओं में बहुत बड़ा दर्जा था और उनका हमारी पार्टी से ताल्लुक था, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वे 9 अगस्त के आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिये अपने क्षेत्र कैथल में जा रही थी। रास्तों में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सिर्फ हमारी पार्टी को ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि सारे हरियाणा को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से चौधरी रामसरूप जी ओर दूसरे महानुभाव है जिनको कि डाक्टर साहब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मैं भी अपनी तरफ से तथा पार्टी की तरफ से उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूँ। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष: मोहतरिम मैबर, साहेबान, बहुत से साहेबान इस भाक-प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी की वजि से मैं अप सब की तरफ से उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि पे ा करता हूँ। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बात चौधरी भाम और सिंह ने कही है मैं उससे सहमत हूँ। मैं लीडर आफ दी हाउस से कहूंगा कि वे सरकार की तरफ से जो कुछ भी मदद कर सकें, करें। हम जानते हे कि साथी अयोध्या प्रसाद जी के फैमिली सरकमस्टांस अच्छे नहीं थे। इसलिये जो कुछ भी इमीजिएट रिलीफ या ग्रांट के तौर पर दिया जा सके उससे उनकी फैमिली को इमदाद मिल सकती है।

Hon. Members, since we last met we have lost some eminent persons who distinguished themselves in the service of the State and the Country in various walks of life.

Shri Ayodhya Prashad, M.L.A., represented my neighbouring constituency of Naranul. He was a veteran freedom fighter, a committed socialist, a man of the masses and a zealous missionary who was generally interested in the welfare of the poor and backward sections of our society. His sense of honesty and integrity was of such a high order that it could be emulated with benefit by all of us.

Shrimati Om Prabha Jain remained a legislator from 1957 to 1972. She served the composite Punjab State and the State of Haryana in various capacities with earnest devotion and dedication.

Shri Ram Sarup, former M.L.A. of composite Punjab, Shri Shanti Swaroop Dhavan, Former Governor of West Bengal, Shri Parmanant Govindjiwala, A member of Parliament from Madhya Pradesh and Sant Nishcal Singh Maharaj, Veteran Sanskrit Scholar, also served the country to the best in their own way.

President Jomo Kenyatta of Kenya played an important role in the freedom struggle and its consolidation in his great country of Kenya.

The Cricket world has lost a great player in the death of Vinoo Mankad. Vinoo Mankad was the back-bone of Indian Cricket for well over two decades and was one of the most eminent sportsmen that India has ever produced. The

sports lovers all over the world cherish very happy memories of this great Cricketer.

The roman Catholic fraternity suffered a grievous loss in the passing away of Pope Paul VI. He was one of the greatest spiritual leaders of modern time and rendered distinguished service in the cause of peace in the strife torn world of today.

I fully associate myself with the deep feelings that have been expressed about the passing away of these great personalities. I shall convey the heart-felt sympathies of the House to the bereaved families.

Now I would request you to kindly observe silence for two minutes while standing as a mark of respect to the memory of the deceased.

(The House then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

उद्योग मंत्री(डाक्टर मंगल सेन): अध्यक्ष महोदय, अभी अभी सदन में चौधरी भाम ार सिंह, बहिन सुशमा जी ने और आपने जो बात कही है उसको मददेनजर रखते हूये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोशणा करता हूं कि सरकार दस हजार रूपये बतौर सहायता के तुरन्त दिवगत अयोध्या प्रसाद जी के घर पहुंचा देगी।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोद, आपने समय के अभाव में एक प्रस्ताव जल्दी पास कर दियां। हम बहुत से साथी

चाहते थे कि हमें भी कुछ बोलने का अवसर मिलता, हम भी उनके बारे में कुछ बातें कहें.....

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इस बात में सब लोग भागमिल है। यह प्रस्ताव आप सब की तरफ से पास हुआ है। वक्त की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा। फिर उस वक्त आप खड़े भी नहीं हुये अगर खड़े हो जाते तो मे। आपको समय जरूर देता। अब यह रैफरेंस पास हो गये है। मैं आप सब के सैंटीमेंटस उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, वक्त की दिक्कत तो डेली होती रहेगी, किसी भी मੈंबर को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिये मेरी आपसे रिक्वैस्ट है और लीडर आफ दी हाउस से भी मैं दरखास्त करूंगा कि हाउस को 5 दिन की बजये ज्यादा दिन चलाया जाये ताकि सब मੈंबरों को समय मिल सके। हमने हाउस में कानून बनाने है और जो भी कानून बने उसका हाउस में पूरी तरह पोस्टमार्टम होना चाहिये। कानून में कोई खामी रह जाये तो बाद में कोर्ट जाना पडता है ओर आन दी होल सरकार को नुकसान होता है। समय की दिक्कत कल भी आयेगी, परसों भी आयेगी, इसलिये टाइम बढा दिया जाये ताकि सब मੈंबरों को समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष: हाउस में जो बिजनैस डिस्कस होगा उस पर डिटेल्स में डिस्कस इन होगी और जहां तक हो सकेगा, कोर्नर पर यही की जाएगी कि सब मैनबर साहेबान को टाइम दिया जाए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

SELECTION GRADE TO TEACHERS AND MASTERS

508. Shri Harswarup Bura: Will the minister for Education be pleased to state the district-wise total number of Teachers and Masters, separately who have not been awarded Selection Grade after completing 18 years of Service in the State to-date, togetherwith the reasons for not awarding the same and the date and year the last selection Grade was released to them?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

The statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the number of JBT, C&V Teachers who have not been awarded selection grade after completing 18 years of service

Sr. No.	District	Total No. of Teachers	Reasons for not awarding selection grade	Date and year when the last Selection grade was released.
---------	----------	-----------------------	--	---

1.	Rohtak	Nil	Nil	10-1-78
2.	Karnal	Nil	Nil	7-3-78
3.	Narnaul	Nil	Nil	15-2-78
4.	Sonepat	2JBT 2 and C&V	Non- availability of Service	21-2-78
5.	Kurukshetra	6 JBT and 1 C&V	Non- receipt of complete service book	6-10-77
6.	Ambala	2 JBT	Non- availability of Service	10-7-78
7.	Hissar	Nil	Nil	28-7-78
8.	Jind	Nil	Nil	31-3-78
9.	Gurgaon	Nil	Nil	12-6-78
10.	Sirsa	1 C&V	The record and service book has not yet been received	8-2-78
11.	Bhiwani	Nil	Nil	24-6-78

	Total	10 JBT and 4 C&V		
--	--------------	---------------------------------	--	--

**Statement showing the number of masters who
have not been awarded selection grade after completing 18
years service**

Sr. No.	District	Total No. of Teachers	Reasons for not awarding selection grade	Date and year when the last Selection grade was released.
1.	Sonepat	1	Non- availability of service record i.e. Service Book	30-12-77
2.	Ambala			10-12-75
3.	Sirsa			21-6-76
4.	Rohtak			23-9-77
5.	Narnaul			29-1-76
6.	Hissar			29-12-76
7.	Karnal			16-12-77

8.	Kurukshetra			29-1-76
9.	Jind			27-1-76
10.	Gurgaon			3-3-78
11.	Bhiwani			30-12-77
	Total	1		

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया है, उसके मुताबिक 15 टीचर्ज ऐसे हैं जिनको सिलैब न ग्रेड अभी तक नहीं मिला है। ग्रेड न मिलने का कारण भी यही बताया है कि उन की सर्विस बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सर्विस बुक्स को अवेलेबल करना महकमें की जिम्मेवारी है या टीचर्ज की जिम्मेवारी है?

श्री हीरानन्द आर्य: डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो टीचर्ज थे वे प्रोविंशियल काडर के टीचर थे और इनका रिकार्ड उस वक्त खराब हालत में था जो आज मिल नहीं रहा। हम कोशिश करेंगे कि रिकार्ड अवेलेबल हो जाए ताकि इन केसिल को सैटल किया जाए।

श्री भले राम: इन टीचर्ज की सर्विस दस दस, पन्द्रह साल की हो गई है और इनके ग्रेड रोके हुये हैं। क्या मंत्री महोदय दो-तीन महीने का टाईम फिक्स करके इन केसिल का निपटारा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कोर्िया करेगें कि उनका रिकार्ड हासिल हो सके।

श्री हीरानन्द आर्य: 10/15 साल से नहीं, जिसकी सर्विस 18 साल की हो जाए वह सिलेक्ट इन ग्रेड के लिये मैच्योर होता है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि सिलेक्ट इन ग्रेड दिया जाये। मैं सदन को विवास दिलाता हूं कि 6 महीने के अन्दर अन्दर ऐसा कोई केस बाकी नहीं बचेगा जिसका फैसला न किया गया हो।

Water Supply Schemes in the State

***521. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) the Constituency-wise number of new Water Supply Schemes started during the period from 4th July, 1977 to 30th June 1978.

(b) the number of Schemes out of those referred to in part (a) above which have been completed during the aforesaid period together with the time by which the remaining schemes are likely to be completed; and

(c) the district-wise names of the villages where the drinking water has been made available under these Schemes during the period as referred to in part (a) above?

Development & Panchayat Minister (Shri Lachman Singh):

A Statement is laid on the table of the House:

Statement

(a) Constituency-wise number of Water Supply Scheme started during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 is as under:

1	Naraingarh Constituency	2
2.	Bhiwani Constituency	1
3.	Bhiwani Khera Constituency	3
4.	Mundhal Constituency	4
5.	Badra Constituency	1
6.	Charkhi Dadari Constituency	1
7	Gurgaon Constituency	2
8	Sohna Constituency	2
9	Barwala Constituency	1
10	Ghirai Constituency	1
11	Narnaund Constituency	4
12	Adampur Constituency	1
13	Hansi Constituency	2
14	Bhattu Kalan Constituency	3
15	Fatehabad Constituency	1

16	Kalayath Constituency	1
17	Nilokheri Constituency	1
18	Asandh Constituency	1
19	Jundla Constituency	1
20	Thanesar Constituency	1
21	Pundri Constituency	1
22	Ateli Constituency	1
23	Jatusana Constituency	
24	Narnaul Constituency	2
25	Beri Constituency	2
26	Hasangarh Constituency	
27	Dabwali Constituency	3
28	Dabra Kalan Constituency	2
29	Rori Constituency	2
30	Baroda Constituency	1
	Total	48

(b) (i) Schemes out of above completed during the aforesaid period:-

(ii)	One Scheme is likely to be completed by	8/78
	One Scheme is likely to be completed by	9/78
	14 Scheme is likely to be completed by	3/79
	5 Scheme is likely to be completed by	6/79
	5 Scheme is likely to be completed by	9/79
	1 Scheme is likely to be completed by	12/79
	15 Scheme is likely to be completed by	3/80
	3 Scheme is likely to be completed by	3/81

(c)	District Bhiwani	1.	Doki Village
	District	1.	Amin village.

	Karnal		
		2.	Uplana Village

स्वामी आदितयवे I: अध्यक्ष महोदय, जुलाई 1977 से 30 जून, 1978 के दौरान 30 कांस्टीच्युएंसीज में 48 वाटर सप्लाई स्कीम्ज भारु की है। इन 48 स्कीमों में से 29 योजनायें सिरसा, हिसार और भिवाना में कार्यानिवत की गई है और बाकी जिलों की उपेक्षा की गई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बाकी जिलों की उपेक्षा क्यों की गई है, क्या बाकी जिलों में पानी का अभाव नहीं है, उनको महत्व क्यों नहीं दिया गया?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा के हर गांव में पानी की किल्लत है मैं एम.एल.ए. साहेबान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा में 6731 गांव है जिनमें से 4180 सिकेयरिसिटी विलेजिज है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सिकेयरिसिटी विलेजिज में जहां खारा पानी है, वगैर किसी भेदभाव से पानी कुहैया करें। कौन से जिले में कौन सा गांव ऐसा है जहां पानी नहीं है, सरकार इस ढंग से नहीं देखती, बल्कि सारे हरियाणा को एक ही गांव समझती है और कोशिश करेंगे कि अल्दी से जल्दी सारे हरियाणा में पानी मिले।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: एक साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है जनता पार्टी को राज करते हुये लेकिन हमारे हल्के में एक भी वाटर सप्लाई स्कीम लागू नहीं की गई और दूसरे इलाकों

में ज्यादा स्कीमें भुरु की जा रही हैं। क्या सरकार बाकी इलाकों के साफ़ इन्साफ़ करने की मेहरबानी करेगी?

श्री लछमन सिंह: हम हल्कों ओर गांवों को कंसीडर नहीं करते लेकिन जहां फ़्लड आता है, खारापानी है, लोग तालाबों से पानी पीते हैं उनको प्रायरिटी दी जाती है आप मुझे दफ़तर में मिल लें। (व्यवधान)

श्री जगननाथ: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वाटर सप्लाई स्कीम लागू करते समय खारा पानी ओर मीठा पाना का ध्यान रखा जाता है या कांस्टीच्युएंसिवाईज एम.एल.एज. से पूछने का ध्यान रखा जाता है कि तेरे हल्के में कितने गांवों को पानी दिया जाये और तेरे हल्के में कितने को? क्या यही क्राइटेरिया है? (व्यवधान)

Shri Lachhman Singh: Again the same question. I have given the reply earlier that there is no such consideration before the Government that only village "A" and "B" will be given drinking water in a particular constituency. The entire record is on the table of House. There is no such type of discrimination anywhere.

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र जिले में वाटर सप्लाई के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इन स्कीमों को लागू करने में यह रूकावट तो नहीं है कि बेनिफि रीज को कहा जाता है कि इतने परसेंट पैसा जमा करवाओ, तब स्कीम लागू होगी, अगर यह बात ठीक है तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देहात वालों से वाटर सप्लाई स्कीम चालू करने के लिए 10 परसेंट या 5 परसेंट बेनिफि री भोयर की भाँत न रखी जाये ओर उन से यह रूपया न लिया जाये? इसके दूसरी तरफ जब ऐसी स्कीम भाहरों में लागू होती है तो उन से यह रूपया नही लिया जाता, क्या सरकार बतसयेगी कि ऐसा क्यों है?

Shri Lachhman singh: I think there is no relevancy of asking this supplementary question by Shri Jain, when I have given the reply earlier.

श्री दीप चन्द भाटिया: ये अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं बोलते.....(व्यवधान एवं भाँर)

Mr. Speaker: I agree with the Minsiter that this supplementary question has no relevancy with the question of Swami Adityavesh. However, if the minister can give an answer, he may do so.

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, 10/15 दिन पहले वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में, मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस में यह बात हुई कि इन स्कीमों के लिये लोन वलर्ड बैंक की तरफ से, सैन्ट्रल गवर्नमेंअ की तरफ से मिलता है

और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा अलाट करती है। मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट ने एक करोड़ रूपया दिया जिस में से 44 लाख सिरसा जिले को, 44 लाख अम्बाला जिले को और बाकी 12 लाख सारे हरियाणा को अलाट किया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह पक्षपात नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री लछमन सिंह: आप यह क्वै चन मुझे लिख कर दे दे मैं जवाब दे दूंगा लेकिन इस क्वै चन के साथ इसकी कोई रैलेवेन्सी नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर)

कई माननीय: बिलकुल रैलेवेन्सी है, आप इसका जवाब दें? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र भार्मा: इस सवाल का जवाब दिलिये बगैर आगे असैम्बली नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

Shri K.L. Poswal: The question is very relevant.

श्री अध्यक्ष: मैबर साहेबान, स्वामी जी ने जो सवाल पूछा है, सवाल की जो बर्डिंग है, वह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। अगर स्वामी जी अपने इस सवाल का नोटिस देंगे तो गवर्नमेंट जरूर जवाब देगी (व्यवधान एवं भाोर) जो सवाल हाउस में पढा है और जो स्वामी जी ने पूछा है, वह पढ़े हुये सवाल से संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

कंवर रामपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह सरेआत डिस्कमिने उन हैं। (व्यवधान) इन्होंने अपने जवाब में कहा कि भेदभाव नहीं किया जायेगा। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि आप अपनी रूलिंग को दोबारा से कंसिडर करें। (भाोर)

चौधरी खुर गीद अहमद: स्पीकर साहब, चूंकि ज्यादा कंट्राससट्रि इस मामले पर है इसलिये मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि अगर इसके बारे में हम भाोर्ट नोटिस क्वे चन दे और आप उसे ऐडमिअ कर ले तो उसका जवाब कल या परसों आ सकता है क्योकि इसकी इन्फमे उन फील्ड से नहीं बल्कि सैक्रेटेरिएट से ही आनी हैं।

Mr. Speaker: If most of the Members are interested in the problem और अगर आनरेबल मेम्बर भाोर्ट नोटिस क्वै चन को ऐडमिट करने के लिये तैयार हूं। (भाोर)

Chaudhri Khurshid Ahmed: All the information is available in the Secretariat. (Interruptions).

Development Minister(Shri Lachhman Singh): I will let you know tomorrow.

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप अपना क्वै चन दे दे।

कंवर रामपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय हाउस के अन्दर जो जवाब देते हैं उसके बारे में सप्लीमेंटरी क्वै चन पूछे जाते हैं। मंत्री जी ने अभी कहा कि वाटर सप्लीआई स्कीम्ज में कोई भेदभाव नहीं बरता गया। हमारी इन्फर्मे इन यह है कि भेदभाव बरता गया है। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मंत्री महोदय के जवाब से उत्पन्न हुआ है मेरी समझ में यह नहीं आता कि मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि यह सवाल उत्पन्न नहीं होता?

राव बीरेन्द्र सिंह: बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो इन्फर्मे इन मंत्री जी ने दी है, उसके मुताल्लिक सप्लीमेंटरी क्वै चन पूछा जा सकता है चूंकि यह बात मंत्री महोदय के जवाब से अराइज हुई है इसलिये आनरेबल मेंबर्ज को सप्लीमेंटरी क्वै चन पूछने की इजाजत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: इस बात पर मैं रूलिंग दे चुका हूं कि अगर स्वामी जी वर्ल्ड बैंक से कितना पैसे आया है उसकी डिस्ट्रिब्यु इन के बारे में भाोट नोटिस क्वै चन देंगे और मिनिस्टर साहब उसका जवाब देने के लिए तैयार होंगे तो वह एडमिट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा मिला है वह इस सवाल में कवर नहीं होता।(गोर)

स्वामी अग्निवे I: उसके अलावा भी एक करोड रुपये के लगभग राशि खर्च हुई है।

स्थानीय प्र शासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा):
स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि यहां बहुत सारे पुराने
पार्लियामेंटेरियन्ज बैठे हैं सदन की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के
अन्दर यह है कि अगर किसी मिनिस्टर के पास किसी सवाल का
उत्तर नहीं है तो उसे उसका उज्जर जरूर ही देने के लिये कम्पैल
नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री(चौधरी भजन लाल):
स्पीकर साहब, ऐसा है कि पिछले पांच साल साल में कई इलाके
ऐसे रह गये थे जिने मे कोई पानी नहीं दिया गया था। उस
एरिया में अगर सरकार ने अब पैसा दे दिया तो कोई पाप नहीं
कियां। (गोर) दूसरे स्पीकर साहब, स्वामी ने जो यह बताया कि
44 लाख रूपया एक जगह के लिये दिया और 44 लाख रूपया
दूसरी जगह के लिये दिया गया है। जबकि बजट में रकम इससे
ज्यादा है जो कि दूसरी जगह भी खर्च होगी.....(गोर)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

Rao Birender Singh: On a point of Order. Mr.
Speaker, An Hon. Minister is intervening during the question
Hour on a subject which does not concern him. Moreover, you
have not allowed any supplemenatry to which he is replying.
May I know how can he speak?------(Interruptions).

Mr. Speaker: I am not aware of any rules whereby a Minister is debarred from intervening during the Question Hour. If there is such an order/rule, I will look it up. At present, I am not aware of it.....

श्री दीपचन्द भाटिया: स्पीकर साहब में एक अर्ज करना चाहता हूँ.....(तौर)...

Mr. Speaker: Please wait for a minute, Mr. Bhatia. There was a Point of Order. I am not aware of any such rules which debar a Minister from intervening during the Question Hour. However, I will check up the rules. If there is any such rule, I will act accordingly.

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, एक बात की और में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जो भी सवाल किया जाता है मिनिस्टर उसका उत्तर देता है । जब प्र न ही नहीं तो उत्तर देने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता । इसलिये इसके रूल्ज एंड रैगुलैज आज का प्र न ही नहीं उठता । यह सीधी सी बात है कि प्र नोत्तर के लिए एक घण्टा मुकर्र है और उसके लिये किसी मिनिस्टर को कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है । केवल एक रैलैबैन्ट सवाल होना चाहिये और उसका रैलेवैन्ट उत्तर होना चाहिये । जहां तक वर्तमान सवाल का सम्बन्ध है, इसके बारे में भी मैं आपका ध्यान एक बात की और आकर्षित करना चाहता हूँ । मंत्री महोदय ने आज हाउस के सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसी किसम का पक्षपात नहीं बरता गया है । अब प्र न उठता

है कि पक्षपात बरता गया है। इसके लिये अगर मंत्री महोदय को टाइम चाहिये तो वे समय ले लें और जवाब दे।

Shri Lachhman Singh: I have never said कि पक्षपात के बारे में जवाब देने के लिये मुझे टाइम चाहिये। आप क्वै चन कीजिये जवाब दे देंगे।

श्री बलदेव तायल: आपने कहा कि पक्षपात नहीं हुआ (इस समय सचिव ने अध्यक्ष महोदय से कुछ बात की) (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: This matter is now closed. स्वामी अग्निवे । जी अगर भाोर्ट नोटिस क्वै चन देना चाहे तो वे दे दे।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की और आकर्शित करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: I want to tell the hon. Member that I am quite capable of conducting the proceedings of this House without any advice from anywhere. And I do not appreciate any aspersion of this kind. (Interruptions).

श्री

बलदेव

तायल:

Mr. Speaker: This matter is closed now अगर स्वामी अग्निवे । जी अपना भाार्ट नोटिस क्वै चन देगें तो मंत्री महोदय ने उसका जवाब देना एग्री कर लिया है ।

Custodian land in District Hissar

***549 Chaudhri Peer Chand:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total urban and rural Custodian land owned by the govt. Separately in district Hissar.

Revenue Minister(Thakur Bir Singh): Urban evacuee land to the extent of 26 ordinary acres, rural evacuee land to the extent of 290 standard acres of cultivated and 44 ordinary acres of Banjar land are available for disposal in district Hissar. In addition 290 standard acres of cultivated and 716 ordinary acres of Ghair Mumkin rural evacuee land, being avacuee share in the Shamlat land is also available, but its disposal has been stayed by the Government because of writ petitions filed by the Panchayats in the High Court.

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि कितने आदमियों ने ऐसी जमीन पर कब्जा किया है और कितने आदमियों के खिलाफ केस चालू किये गये हैं?

ठाकुर बीर सिंह: कुछ लोगों ने रिटें दायर करके स्टे हासिल किया हुआ है । (विधन) जैसा मुझे मालूम हुआ है और जो रिकार्ड अवेलेबल है, उसके मुताबिक चार पांच रिटें है जिनमें लोगों ने स्टे लिया हुआ है । उनकी बिना पर क्योकि कौमन

क्वै चन औफ ला इनवौलव्ड है, सरकार ने निर्णय लिया है कि उनका निर्णय आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि कितने आदमियों ने कब्जा किया हुआ है और उनमें से कितने आदमियों के खिलाफ केस चालू हुये हैं?

श्री अध्यक्ष: यह तो इन्होंने बता दिया कि इतने लोगों पर केस चले हैं।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं तफसील में जवाब जानना चाहता हूँ कि कितने आदमियों ने कब्जा किया हुआ है आनमें से कितने लोगों के खिलाफ केस चलाये गये हैं?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बता दिया है कि चार पांच रिटें हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं जिनमें स्टे जारी हुआ है। उनमें चूंकि कौमन क्वै चन आफ ला इनवौलव्ड है, इसलिये सारी डिस्ट्रीब्यूशन को रोका हुआ है।

चौधरी पीर चन्द: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि चार-पांच आदमियों ने जो रिटें दायर की हुई हैं उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है या कुछ और आदमी भी हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है।

ठाकुर बीर सिंह: सारी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है इस वजह से तकसीम रोक दी गई है कि कौमन क्वै चन आफ ला का सवाल है। इन रिटों का निर्णय आने के बाद बाकी जमीन रूलज के मुताबिक तकसीम की जायेगी।

श्री बलदेव तायल: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस भूमि मेंसे कितनी भूमि पर नाजायज कब्जे किये हुये हैं?

ठाकुर बीर सिंह: भूमि पर नाजायज कब्जा किसी ने भी नहीं किया हुआ है।

श्री बलदेव तायल: मैं नाजायज भूमि का सवाल नहीं किया है बल्कि नाजायज कब्जे का सवाल किया है।

श्री अध्यक्ष: उसी बात का जवाब दे रहे हैं

ठाकुर बीर सिंह: नाजायज कब्जे के बारे में तायल साहब ने पूछा है। वहां पर नाजायज कब्जा किसी का नहीं है। कुछ आदमियों ने रिटें दायर की हुई है कि यह हमारी जमीन है। नाजायज जमीन समझ करचलें तो मुकदमा ही दायर नहीं कर सकते।

श्री बलदेव तायल: मेरा प्र न यह नहीं है। मेरा प्र न तो यह है कि अगर कस्टोडियन अपनी भूमि नहीं समझता है और ठीक कब्जा समझता है तो कोई चक्कर ही नहीं है दूसरी बात में

यह कहना चाहता हूँ कि वधवा साहब किसी मंत्री को प्रोम्पट न करें।

Mr. Speaker: I will request the members that they should not cast aspersion on a minister. The Minister for Revenue is quite capable of replying.

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद सुना है। एसप नि की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगर आपके पास फिर्ज है तो बता दीजिये।

ठाकुर बीर सिंह: एग्जैक्ट फिर्ज नहीं है। इस क्वै चन में कलीयर पूछा गया है — Will the minister for Revenue be pleased to state the total urban and rural Custodian land owned by the Government separately in district Hissar.' और इसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री भामोर सिंह: आदरणीय स्पीकर साहब, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये हैं कि जिन आदमियों को जमीन अलाट हुई है उनको अभी तक कब्जा नहीं मिला है क्योंकि कोर्ट में केसिज चल रहे हैं, इसका क्या कारण है?

ठाकुर बीर सिंह: मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ। हाई कोर्ट में रिटें चल रही है इसमें कौमन क्वै चन आफ ला का

सवाल है। हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद एक अन लिया जायेगा।

श्री भाम ार सिंह: अध्यक्ष महोदय, कौमन क्वै चन आफ ला की जो बात कर रहे है, और यह सब हेंकी-सेंकी मार रहे है। चार पांच आदमियों ने रिटें दायर कर दी है। और दो सौ आदमियों ने कब्जा कर रखा है यह जो कौमन क्वै चन ला की बात कर रहे है यह नाजायज आदमियों को प्रोटैक्ट करने की बात है। मेरा सवाल यह है कि इसमें कौमन क्वै चन आफ ला की क्या बात है?

Thakur Bir Singh: This is not a supplementary question.

श्री हरस्वरूप बूरा: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कस्टोडियन की जमीन एक दफा नीलाम होने के बाद दस-पन्द्रह य छः महीने बाद क्यों नीलाम की जाती है? क्या एक बार की आव अन जायज नहीं है, दुबारा आव अन क्यों की जाती है?

ठाकुर बीर सिंह: इस किस्म का सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुबारा आव अन हो। जिस आदमी ने आव अन में भूमि ले ली है। अगर वह समय पर किस्त डिपोजिट नहीं करता है तो दुबारा नीलाम की जाती है। इसमें हरिजन को और भी अधिक फैसेलिटी दी हुई है कि अगर दुबारा आव अन के टाईम पर

इन्ड्रैस्ट और किस्त जमा करवा देता है तो उसी को फिर जमीन अलाट कर दी जाती है । (चौधरी पीर चन्द की ओर से विधान)

स्पीकर साहब चौधरी पीर चन्द किसी आदमी के बारे में कुछ पूछा चाहते हैं लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं है कि उनका यहां हाउस में नाम लें ।

CONSTRUCTION OF RAODS IN THE STATE

***552 Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Public works be pleased to state the constituency-wise total kilometers of roads constructed during the period from 1.2.78 to date in the State?

Public Workds Minister(Chaudhri Mehar Singh Rathi): A statement containing requisite information is plcaed on the Table of the House.

ANNEXURE A

Sr. No.	Name of Constituency	Length Co,pleted from 1.2.78 to 31.7.78
1.	2.	3.
1.	Safidon	3.00
2.	Kalyat	0.70
3	Baroda	4.88

4	Kailana	2.94
5	Rai	3.23
6	Kalka	5.85
7	Naraigarh	1.43
8	Sadhaura	6.09
9	Chhachhrauli	7.52
10	Yamuna Nagar	1.90
11	Jagadhri	3.75
12	Muliana	0.60
13	Nagal	1.25
14	Gurgaon	0.30
15	Sohna	1.97
16	Pataudi	0.74
17	Ballabgarh	0.30
18	Meola Maharazpur	0.90
19	Palwal	3.93
20	Hathin	0.33
21	Hassanpur	7.59
22	Nuh	1.64

23	Taoru	3.05
24	Ferozpur Jhirka	2.40
25	Hansi	1.18
26	Barwala	1.20
27	Narnaund	19.55
28	Bhattu	0.52
29	Adampur	1.17
30	Rori	17.82
31	Ellenabad	14.40
32	Darba Kalan	8.75
33	Dabwali	12.93
34	Tohana	5.20
35	Ratia	4.40
36	Mundhal	3.13
37	Bawani Khera	3.91
38	Tosham	1.66
39	Bhiwani	3.40
40	Loharu	6.18
41	Bahra	2.90

42	Jundla	0.60
43	Naultha	0.60
44	Pundri	0.60
45	Assandh	0.50
46	Pehowa	2.52
47	Kaithal	1.90
48	Karnal	1.50
49	Nilodhri	1.54
50	Gharaunda	4.90
51	Thanesar	1.79
52	Radaur	6.03
53	Gulha	8.46
54	Shahbad	4.31
55	Indri	4.68
56	Badli	1.40
57	Sahlawas	1.00
58	Beri	0.50
59	Jhajjar	0.30
60	Narnaul	0.40

61	Ateli	1.90
62	Mohindergarh	4.95
63	Fatusana	1.90
64	Rewari	1.01
65	Bawal	0.30
	Total	228.18

Note: In the remaining 25 constituencies, the road length constructed during the period is nil.

चौधरी संत कवर: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने छः महीने के अन्दर बनी हुई सड़कों का जो ब्यौरा दिया है उसमें साफ तौर पर डिस्कमिने इन दिखायी देता हैं पिछले सै इन में जब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी मिनिस्टर थे तो उन्होंने विधानसभा में आ वासन दिया था कि आगे से किसी प्रकार का कोई डिस्कमिने इन नहीं होगा और सब इलाकों में बराबर सडके बनायी जायेगीं। मैंने इस क्वै चन के जरिये फरवरी के बार का रिकार्ड मांगा हे जिसके अनुसार सिरसा में 54 किलोमीटर सडके बनी है और रोहतक के अन्दर साढे तीन किलोमीटर सडके बनी है, सोनीपत में बिल्कुल ही नहीं बनी, हिसार में 35 किलोमीटर बनी हैं इसके अलावा कांस्टीच्यूंसीवाइज भी डिस्कमिने इन की गई है, मैं उसका कारण भी पूछना चाहता हूं। नारनोंद हल्के के अन्दर 19.55 किलोमीटर सडक बनी, एलनाबाद हलके में 14.40 किलोमीटर, रोडी हल्के में 17.72 किलोमीटर , डबवाली में 12.93 किलोमीअर

सडक बनी, इसलिये जो ीी सडके बनायी गई है ये जिला हिसार की औरसिरसा की पांच-छः कांस्टीच्यूंसीज में ही बनाया गई है, क्या यह हमारे सागि डिस्ट्रिक्मेने ान नहीं? यह हमारे साथ जुल्म नहीं है, इसका कररण बताया जाये?

कामरेड भांकर लाल: मेरे हलके में तो एक भी किलोमीटर सडक नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने अपने हल्के में भी कोई सडक नही बनायी है, इसलिये कारण तो पता लग गया होगा।

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, कुछ जिले सडकों के लिहाज से पहले से ही पीछे रहे है। उन जिलों में सडकें कम बनी थी और दूसरे जिलों में जयादा बनी है इसलिये उन जिलों के बराबर लाने के लिये ये सडके बनायी गई है और कोई खास बात नहीं हैं।

Mr. Speaker: It is a different quesiton.

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरा हल्का किलोई जो पिछले साल भी फल्ड में था ओर इस साल भी फलड की जद में हे और वहां पर बहुत सी सडकें टूटी हुई है, किसी की भी मुरम्मत नहीं हुई है, क्या एक दो सडक की वहां पर मुरम्मत हो जायेगी?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, जो भी सड़के टूटी हुई है हम जल्दी ही उनकी मुरम्मत करायेगे।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यह बात चौधरी भजनलाल भी कह रहे थे कि कुछ वि. शेष कारणों से कुछ जिले पीछे रह गये, राठी साहब भी वही कह रहे हैं कि कुछ वि. शेष कारणों से कुछ जिले पीछे रह गये। बात दरअसल जिलों की नहीं, कांस्टीच्युएँसी यानि हलकों की है। नारनोंदर हलका एक ऐसा हलका है जहां से चौधरी सूरज मल और चौधरी सरूप सिंह चुनाव लड़ कर आते रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि वह इस लिये पीछे नहीं रहा क्योंकि ऐसे आदमी वहां से चुनाव लडकर आए हैं जहां तक ओर हलकोंके पीछे रहने का कारण है, वह मउँ नहीं कह सकता कि क्या हो?

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिये।

श्री जगननाथ: सवाल ही पूछ रहा हूं जी। मेरे विचार में डाक्टर मंगल सेन और चौधरी देवी लाल के हल्के कभी भी पीछे नहीं रह सकते। मैं यह जान सकता हूं कि नारनोंद में 27 प्रति. शत सड़कें क्यों बनी है जबकि बवानी खेडा कांस्टीच्युएँसी में सिर्फ 5 प्रति. शत सड़कें ही बनी है, क्या यह बात दोनों मिलकर बता सकते हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी रामकिान: स्पीकर साहब, मेरी आपके द्वारा इस सदन से एक गुजारिा है। जैसे कि पीछे के मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह और अब के मंत्री राठी साहब ने आज इस सदन को विवास दिलाया है कि किसी कांस्टीच्यूएँसी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्कमिनेान नहीं होगा, क्या यह डिस्कमिनेान का जीता जागता सबूत नहीं है कि अकेले जींद में जो कि सबसे हपछडा हुआ जिला है, एक भी किलोमीटर सडक नहीं बनाया गयी? चूंकि अब यह कह दिया गया है कि आइन्दा कोई डिस्कमिनेान होगा, इसलिये अब मैं उम्मीद करता हूं कि सडकें और वाटर सप्लाई के बारे में कोई डिस्कमिनेान नहीं होगा। जहां तक वोटों का सम्बन्ध है, हर मँबर यहां जनता की वोटों से चुनकर आया है चाहे वह मंत्री है या एम.एल.ए. है। यह नहीं होना चाहिये कि एक मंत्री के हल्के में तो सडकें बन जायें और एम.एल.ए. के हल्के में सडकें न बनें। और वाटर सप्लाई स्कीम भी न मिले। मैं यह चाहता हूं कि हाउस के अन्दर मंत्री जी यह आवासन दें कि आइन्दा किसी भी हल्के के अन्दर इस किस्म का पक्षपात नहीं होगा जो पीछे होता रहा है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: जहां तक स्पीकर साहब, जीन्द जिला का ताल्लूक है वहां पर 91.6 प्रति 100 सडकें बनी हुई है जबकि सारे हरियाणा स्टेट की एवरेज 81.01 प्रति 100 सडकें बनी हुई है। आप ही देखिये एवरेज में ही 10 परसेंट सडकें ज्यादा

बनी हुई हैं। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं.....(गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: मैं स्पीकर साहब आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सडकें तो मुरम्मत हो जायेगी लेकिन मेरे हल्के में मुंडी खेडा के पास चन्दु बादली रोड पर कोई पुल नहीं है जिससे वहां के 10-15 गांव को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, वहां पर लड़कियां और औरतें पुल न होने की वजह से वहां से क्रास नहीं कर सकती, इसके अलावा वहां से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वहां पर ड्रेन नं0 8 पर पुल अब य बनना चाहिये और जो पुल टूटे हुये हे उनकी मुरम्मत भी करवायी जानी चाहिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब तो दिलवा दो। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरियाणा विधान सभा की डिबेटस का स्तर हमें आ बहुत उंचा रहा है। मैं मँबर साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके वन एट ए टाईम बोलने की कोशिश करें। सब को बोलने का मौका मिलेगा लेकिन डिस्कशन का जो स्टेन्डर्ड है उसको थोडा सा और उंचा उठाने में आप लोग मेरी मदद करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा।

चौधरी संत कंवर: यह चीज मन्त्रियों पर भी लागू होनी चाहिये। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साब, मैं नुकताचीनी के विचार से नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात आप सुन लें(गोर एवं व्यवधान)

Chaudhri Khurshid Ahmed: There cannot be point of order during question hour.

Construction of Distributary From Jind Minor

***562. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the government to construct a distributary from Jind Minor to irrigate villages Hjanj Kalana and Jhanj Khurd in District, Jind; and

(b) if so, the time by which the afore-said distributary is likely to be constructed?

Irrigation and Power Minister(Shri Verendar Singh):

(a) Yes; to improve irrigation in villages Jhanj Khurd and Kairkheri;

(b) the channel to improve irrigation in villages Jhanj Khurd and Kairkheri will be completed during the current financial year;

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत पूछना चाहता हूँ कि 1963 की खडवाली माइनर, किलोई माइनर, जींदरान माइनर ऐप्रूव है और अगर इन माइनर्ज पर दो लाख रूपया खर्च कर दिया जाता तो पांच करोड रूपये का सालाना कमाया जा सकता था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि दो लाख रूपया खर्च न करके पांच करोड का जो नुकसान उठाया गया हे उसका क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह सप्लीमेंटरी इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। 1963 की सैंक ांड अगर कोई स्कीम माननीय सदस्य हमारे नोटिस में लायेगें तो फोरी तौर पर उन पर काम किया जाएगा।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: मैं यह बात आपके नोटिस में पहले भी लाया था(गोर)

Assistant Engineers Recruited in Irrigation Department

***629 Shri Bhale Ram:** Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of Assistant engineers recruited in the Irrigation Department during the period from 1st December, 1974 to 31st December, 1976;

(b) the number of Assistant Engineers belonging to Scheduled Caste out of those referred to in part (a) above; and

(c) the number of persons promoted/are being promoted, together with the number of persons belonging to Scheduled Castes amongst them, as referred to in part (a) above?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh):

(a) 288

(b) 8

(c) No person has been promoted nor is there any proposal under consideration of the Government at present.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, 228 असिस्टेन्ट इंजीनियर लिये गये जिनमें से केवल आठ असिस्टेन्ट इंजीनियर भाडयूल्ड कास्ट के लिये गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कम लिये गये हैं इसका कारण भाडयूल्ड कास्ट के कैंडीडेट्स अवेलेबल नहीं थे या कोई और कारण है जैसे हिसाब से 48 होने चाहिये थे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब एडवरटाइजमेंट के मुताबिक जो क्वालिफिकें अंज रखी गई थी उनके मुताबिक उम्मीदवार न मिलने के कारण यह कोटा पूरा नहीं हो सका।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, दस पन्द्रह दिन के अन्दर मंत्री महोदय के पास फाईल पहुंच जायेगी और उनको पता लग जाएगा कि किस वजह से भाडयूल्ड कास्टस को असिस्टेंट इंजीनियर से एक्स0ई0एन0 नहीं बनाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह कोटा पूरा किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी तक कानूनी व्यवस्था यह है कि प्रोमो अंन के लिये कोइ रिजर्वे अंन नहीं है और रिजर्वे अंन सिर्फ रिक्टमेंट में है, प्रोमो अंन में नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रोमो अंन में रिजर्वे अंन नहीं हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रोमो अंन में रिजर्वे अंन करने के लिये कोई कंइटेरिया रखा जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: फिलहाल यह मामला विचारधीन नहीं है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भाडयुल्ड कास्टस कैडीडेटस की जो सीअें पूरी नहीं हो पाइ है क्या वे सीटें खाली रखी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह तजवीज सरकार के जैरेगौर है ओर पब्लिक सर्विस कमी इन को कहा गया है कि भाडयूल्ड कास्टस की जो सीटें खाली हैं उनको एडवरटाइजमेंट करके भरा जाये ।

श्री जगननाथ: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिक्लूटमेंट और प्रोमो इन में जितनी गड़बड़ आपके महकमे में होती है उससे ज्यादा क्या किसी ओर महकमे में होती है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता ।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, पहले यह था कि पब्लिक सर्विस कमी इन में मेरे ख्याल से पहली, छटी और दसवीं पोस्ट भाडयूल्ड कास्ट को जाती थी लेकिन बाद में चीफ सेक्रेटरी ने कमी इन को हिदायत दे दी कि मैरिट जनरल कर दिया जाये और मैं समझता हूँ कि इस कारण से भाडयूल्ड कास्टस का प्रोमो इन कभी नहीं हो सकेगा । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे इस चीज को दूर करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है कि प्रोमो इन में रिजर्वे इन नहीं होती । न्यू रिक्लूटमेंट होती है उसमें रिजर्वे इन होती हैं सरकारी महकमे में जो प्रोमो इन होती है वह सीनियोरिटी और ऐफी ंसी के हिसाब से होती है ।

श्री भलेराम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब पहली, छटी और दसवीं वेकैन्सी सरिजर्व है तो भाड्यूल्ड कास्ट्स को पीछे क्यों रखा जाये?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Quota of Sugar Lifted on Forged Permit

***583. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the quota of sugar was lifted on forged permit on 14th and 19th March, 1975 or 1976 in District Jind: if so, the total quantity there of; and

(b) the total number of persons arrested in this connection?

खाद्य व पूर्ति मंत्री(चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) हां, दो जाली परमिट 18 बोरी चीनी के 19-3-75 को जारी हुये ओर इनके विरुद्ध चीनी 20-3-75 को जारी हुई। कोई जाली परमिट 14-3-75 व वर्ष 1976 में जारी नहीं हुये।

(ख) चार व्यक्ति गिरफ्तार हुये।

लाला बलवन्त राय तायल: अभी-अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बतलाया है कि चार व्यक्ति गिरफ्तार हुये। क्या वे

बताने का कष्ट करेंगे कि इन चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी का क्या रिजल्ट हुआ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, इन चार व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 25-10-75 को एफ.आई.आर. नम्बर 365 द्वारा द्वा 420/468 और 471 ताजीराते हिन्द के तहत केस दर्ज किये गये ओर यह केस जिला जीन्द में दर्ज हुये। ये आदमी थे—

1. श्री राजकुमार सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द
2. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र श्री मेघराज
3. श्री बृजभूषण सुपुत्र श्री मामराज
4. श्री रोहन लाल सुपुत्र श्री साधुराम

ये सारे के सारे व्यक्ति जीन्द के रहने वाले है, इनको गिरफ्तार करनेके पचात कोर्ट में पेना किया गया। इनके खिलाफ एवीडेंस न होने की वजह से इन्हे 19-12-77 को डिसचार्ज कर दिया गया।

लाला बलवन्त राय तायल: क्यामंत्री महोदय बताएंगे कि ये व्यक्ति कोर्ट द्वारा डिसचार्ज किये गये या कि मौजूदा सरकार ने इनके खिलाफ केस विदड्रा कर लिये?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह सारे व्यक्ति कोर्ट द्वारा डिसचार्ज किये गये क्योंकि यह केसे अनट्रेसेबल हैं कोर्ट ने यह मान भी लिया है कि चूंकि यह कसे अनट्रेसेबल है इस लिये इन व्यक्तियों को डिसचार्ज किया जाता है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इन चार व्यक्तियों में जिनके खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं, क्या डिपार्टमेंट के कुछ आदमी भी इस केस में इनवाल्व थे और इसी कारण से एक केस भी विदग्धा हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट वाले सही सबूत देने में असमर्थ रहे?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, इस केस में मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति इनवाल्वड नहीं था क्योंकि उन्होंने न कोई कोटा दिया, न कुछ और बात की बल्कि जीन्द सैन्ट्रल कोआपरेटिव कंज्यूमर स्टोरज के आदमियों की तरफ से यह सारी भारारत की गई थी। रिपोर्ट मेरे सामने है इन सभी आदमियों को एवीडेन्स न होने की वजी से डिसचार्ज कर दिया गया ओर 19-12-77 को कोर्ट ने इसको मान भी लिया है। All these persons were discharged as the case was declared untraceable and on 19-12-77 the same was accepted by the court.

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, जो जाली परमिट काआ गया उसकी तिथि थी 19 मार्च, 1975 और 25-10-75 को

जिन व्यक्तियों ने ऐसा काम किया था , उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि केस रजिस्टर करने में यह 7 मास का समय कैसे लग गया, इस काम में इतनी देरी के क्या कारण थे? उसी समय केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मार्च, 1975 को जब यह केस हुआ तो उसका पता सरकार को कुछ देर के बाद लगा। जिस वक्त सरकार के नोटिस में यह बात आई तो उसी समय सरकार ने केस दर्ज करवा दिया।

लाल बलवन्त राय तायल: क्या मिनिस्टर साहब बतायेगें कि इस केस में कोई ऐसा गैंग तो नहीं था जोकि हर जगह परमिट बना कर फिर चीनी बेचता रहा हो? क्या सरकार इस बात की इक्वायरी करवाने का विचार रखती है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, जैसा कि तायल साहब फरमा रहे हैं मेरे नाटिस में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मिनिस्टर साहब बतायेगें कि इनके स्टा के लोगों की कहीं उन व्यक्तियों से मिलीभगत तो नहीं थी जोकि ऐसा हुआ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अपने जवाब में कहा है कि फूड एण्ड सिविल सप्लाय विभाग के किसी भी आदमी का इस बात से कोई सरोकार नहीं था।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, अगर इस केस से सम्बन्धित कोई नये फैक्टस मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाये जाये तो क्या वे नये सिरे से इंकवारी करवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, यह जनता सरकार हर ईमानदारी की बात करने के लिये हर वक्त तैयार रहती है।

Construction of Sutlej Yamuna Link Canal

***593 Rao Dalip Singh:** Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total length of Sutlej Yamuna Link Canal constructed so far, in Haryana State and the estimated cost which was likely to be incurred and the actual cost incurred thereon: and

(b) whether the Punjab Government has actually acquired any land, so far, for the construction of Sutlej Yamuna Link Canal, in its territory?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh):

(a) 92 Kms. long Sutlej Yamuna Link Canal in Haryana Comprises 75.77 Kms. of new link and 16.23 Kms. of Remodelling of existing Western Jamuna Canal. The new link has been fully excavated in a length of 73.60 Kms. and lined in a length of 32.60 Kms. the balance work of excavation, lining of Sutlej Yamuna Link and remodelling of Western Jamuna Canal is in progress.....

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे प्रश्न का जवाब हिन्दी में दे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्वामी जी इसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे से हिन्दी पढ़ी नहीं जाती।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, आप तो इंगलि I में माहिर है। आप तो समझ सकते है।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मुझे समझने में कठिनाई होती है।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी भी संविधान की एक लिखित भाशा है हाउस के अन्दर जिस भाशा में मैंबर चाहे बोल सकता है। इसलिये मैं स्वामी जी से अपाके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जो सज्जन हाउस में अंग्रेजी में बोलना चाहे उसको बोलने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: साहिबान, यह जो भाशा का सवाल है यह सदन में कई दफा पहले उठ चुका है और आज फिर उठ रहा है,

इसके बारे में जो इस वक्त रूलिंग है वह मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ फिर आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि उस रूलिंग के अनुसार यहां की कार्यवाही चलाई जाये। रूलिंग इस प्रकार है:—

“Hon. Members, the question of use of language in the House has often been raised in the House by various Hon. Members. I regret to say that this point has been agitated time and again by the Members without proper appreciation of the rules of Procedure of our House. Rule 77 of the Rules of Procedure reads-

Subject to the provisions of Article 210 of the Constitution, the proceedings in the Assembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in the English Language.”

तो मैं आप सब मੈम्बर साहिबान से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रेजेन्ट इन्स्ट्रक्शन या रूलज है उनके मुताबिक सबको छुट्टी है कि कोई भी मੈम्बर इनमें से किसी भी भाषा में बोल सकता है, किसी की आजदी पर कोई दूसरा अपनरेबल मੈम्बर रोक नहीं लगा सकता। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप जरा सुन लीजिये, ये जो गांव के लोग हमारे यहां की कार्यवाही सुनने के लिये आते हैं, धक्के खा खाकर जो बेचारे पास बनवाते हैं, अगर यहां पर अंग्रेजी भाषा में ही काम चलता

रहा तो उन बेचारों के पल्ले क्या पड़ेगा। कम से कम हम सब भाईयों को यह कोर्ि । । करनी चाहिये कि हम हिन्दी ही बोले।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, सवाल इस वक्त भाशा का नही हैं सवाल इस वक्त यह है कि मंत्री महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे रहे है। सतलूज यमुना लिंक के उपर सवाल है जिससे हरियाणा का हर व्यक्ति सम्बन्धित है। अगर उनके दिये हुये जवाब को सदन में बैठे हुये सदस् यही न समझे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर मंत्री महोदय अंग्रेजी पढ़ सकते है हिन्दी नहीं पढ़ सकते तो वह जवाब अंग्रेजी में पढ़ दें लेकिन वह हरियाणवी तो अच्छी तरह से बोल सकते है, हरियाणवी में ही उसको समझा दे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पहले रिटर्न रिपलाई पढ़ दूँ। The net estimated cost for the construction of Sutlej Yamuna Link in Haryana portion is Rs. 25.00 Crores and the actual cost incurred upto 15-8-78 is Rs. 21.52 crores.

(b) No, Please.

राव दलीप सिंह: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फर्माया है कि पंजाब के इलाके में कोई जमीन एकवायर नहीं की गई है लेकिन दूसरी तरफ पिछले विधान सभा सै ।न में चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिफिके ।न दिखाये थे ओर कहा था कि इसने दफा 4 और 6 के तहत जमीन एकवायर कर ली है। मैं यह

जानना चाहता हूँ कि वह स्टेटमेंट सही थी या यह स्टेटमेंट सही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वह स्टेटमेंट भी सही थी ओर यह स्टेटमेंट भी सही है। लजेंड एकवीजी इन की प्रासीडिंग सैकशन 4 की हो चुकी है। कम्पली इनआफ एग्जीक्यू इन जो होती है वह सैक इन 6 मे होती है। सैक इन 4 और सैक इन 17 का नोटिफिके इन पांच किलोमीटर का था। सैक इन 6 का नोटिफिके इन नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष: इसी सबजैक्ट के उपर एक एडजर्नमेंट मो इन भी आया हुआ है, उस पर सबको बोलने का मौका मिल जाएगा इसिलये इस सवाल पर और सप्लीमेंअरी न पूछे जायें। उस वक्त सारा मामला विलयर हो जायेगा। अब अगला सवाल पूछें।

Supply of Milk to Milk Plants in the State.

***596 Chaudhri Gaya Lal:** Will the minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the existing Milk Plants in the State are getting sufficient quantity of milk from the producers;

(b) whether the Ballabgarh Mil Plant has not been started as yet, if not, the reasons thereof; and

(c) whether it is a fact that some of the private dealers/contractors transport milk from district Gurgaon to

other State, if so, whether the Govt. proposes to impose any restriction on transporting of milk to other States?

**Cooperation and Dairy Development
Minister(Chaudhri Bhajan Lal):**

(a) No. Only in flush season from October to March sufficient quantities of milk are available.

(b) The Balabharh Milk Plant is expected to start functioning in about 2 month time. There has been delay in the commissioning of this plant due to paucity of funds and owing to labour unrest in the factories of the constructors.

(c) Yes. However every year during the lean season a ban is imposed on the export of milk by private dealers to other States. Previously this ban was not applicable for export to the U.t. of Delh. However, this year the ban had been imposed even on export of milk by private dealers to the U.T. of Delhi. this ban was effective from 24-5-78 to 25-8-1978.

चौधरी गया लाल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह प्लांट कब शुरू हुआ, इसमें कितने कर्मचारी लगे हुये हैं और उनका कितना खर्चा है?

चौधरी भजन लाल: यह प्लांट 1974 में शुरू हुआ और इस प्लांट की कैपेसिटी पचास हजार लीटर दूध की है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिस ठेकेदारने इसका ठेका लिया था। बीच में उनकी फैक्टरी में हड़ताल होने की वजह से मीनरी नहीं आ

सकी इसलिये काम मे डिले हो गई थी। अब यह काम दो महीने में पूरा हो जाएगा ओर इस पर 87 लाख रूपये खर्चा होगा।

श्री अध्यक्ष: क्वै चनर आवर अब खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

**TAKING OVER OF NATIONAL COLLEGE SIRSA BY
GOVERNMENT**

***613 Shri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the National College, Sirsa if so, the time by which the poposal is likely to be materialised?

Education Minsiter(Shri Hira Nand Arya): Yes, no time limit can be fixed.

FACILITY OF HOUSE BUILDING LOAN TO THE
M.L.A.s

***623. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state;-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt., to extend the facility of house building loan to the Members of Legislative Assembly also at par with government Officers in the states; and

(b) if so, the details thereof?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) The matter is under consideration of the Government.

(b) “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

BREACH IN THE BANK OF JAMUNA RIVER

***566 Kanwar Ram Pal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any breach has occurred in the bank of Jamuna River between village Raledha and Mundha Gadhi, in Gharaunda Constituency;

(b) whether the Department has taken any steps to plug the said breach;

(c) if reply to part(b) above be in the affirmative, whether the work was completed by the department before rains started;

(d) the number of villages affected by flood water due to change of course by Jamuna River and total loss done to the crops in the area affected by flood water; and

(e) what stpes the Government propose to take in future to save the villages affected by floods during the current rainy season due to above said breach?

Irrigation and Power Minister(Shri Verendar Singh):

- (a) No.
- (b) Does not arise
- (c) Does not arise.
- (d) Information is being collected and losses are being assessed in the fields.
- (e) As there is no breach, hence no action is called for.

**NATIONAL ADULT EDUCATION PROGRAMME IN
THE STATE**

***Shrimati Shanti Devi Rathi:** Will the minister for Education be pleased be state-

- (a) whether the Government has undertaken any programme under the National Adult Education Programme which is being started from the 2nd Oct., 1978 alongwith any programme received from Government of India in this behalf;
- (b) whether any Committees have been set up or being set up at the State level as well as at the District level;
- (c) whether the private institutions are also being associated with this programme and are being given representation in the committee as referred to in part (B) above; and

(d) the total funds allotted by the Government for the above said programme?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

(a) The question of undertaking the State Adult Education Programme under the National Adult Education Programme, which is being started from 2nd October, 1978, alongwith the Centrally sponsored schemes received from the Government of India in this behalf, is under consideration of the State Government. The programmes are being worked out.

(b) Yes.

(c) Yes. They have been given representation at the district level.

(d) Rs. 399 lacs for the mid-term plan for the period from 1978-79 to 1982-83 under the State plan outlay.

**ALLOCATION OF FUNDS UNDER THE WATER
SUPPLY SCHEME.**

570. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether any funds sanctioned during the last year under the Water Supply Scheme for Villages Haryana, Pasina Khurd, Karhans/Machhrauli of Panipat tehsil have been allocated; if not, the reasons therefor?

Development & Panchayat Minister(shri Lachhman Singh):

(a) No funds have been sanctioned for these schemes.

(b) The schemes have not been accepted by the beneficiary Panchayats nor has beneficiary share been deposited by these Panchayats.

HARYANA ROADWAYS SUB-DEPOT AT KALANAUR

***603 Shri Jai Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Haryana Roadways Sub-Depot at Kalanaur in District Rohtak, if not, the reasons thereof.

Chief Minister(Chaudhri Devi Lal):

At present there is no proposal to open a sub-depot of Haryana Roadways at Kalanaur in District Rohtak on account of the following reasons:-

(a) Its proximity to the main Rohtak depot.

(b) Not being an originating station for bus services.

(c) Not a traffic junction.

(d) Buses do not stop at night, as such no repair facility is needed.

DISCRETIONARY GRANTS GIVEN BY MINISTERS FOR WELFARE OF HARIJANS

***627 Shri Tak Ram:** Will the minister for Finance be pleased to state the total amount of discretionary grant

given by each Minister for the Welfare of persons belonging to Scheduled Castes in District Bhiwani after the formation of Janata Government, to-date?

Development and Panchayat Minister (Shri Lachhman Singh): The discretionary grants are sanctioned for specified categories of works and schemes whose benefits accrue to the general public and these are not given for welfare of any particular individual. During the year 1977-78, Rs. 35000/-were sanctioned by the former Chief Parliamentary Secretary in Bhiwani district for the specified categories of works/schemes for the general welfare of persons belonging to Scheduled castes.

WATER CONNECTIONS IN VILLAGES

***622 Chaudhri Lal Singh:** Will the Minister for Development and Panchyats be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the water connections are not being given in the houses situated in villages ; and

(b) if so, the reasons thereof?

Development and Panchayat Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) The Government vide Memo. No. 7427-ASOI-HBII-68/24614 dated 16-10-1968 and No. 3829-ASOI-HB-2-69/12800 dated 21-5-1969 decided that private connections should not be given to consumers from such villages

watersupply schemes which are based on 5 gallons or 10 gallons per head per day, because

(i) The villages water supply schemes are designed to meet minimum basic needs though public stand posts and not through house connections.

(ii) For house connection, additional supply of water, laying pipes within the villages and proper drainage are necessary which are very expensive.

**ALLOTMENT OF SURPLUS LAND TO SCHEDULED CASTES
ETC.**

***Capt. Mange Ram:** Will the minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any surplus land has been allotted to the Scheduled caste persons/land-less people in Jhajjar Constituency during the period from 1st July 1977 to date; and

(b) If reply to part(a) above be in the affirmative, the name of the allottees together with their addresses and the area allotted in each case?

Revenue Minister(Thakur Bir Singh):

(a) Yes

(b) A statement giving the requisite information is laid on the table of the House.

Statement showing the names of the persons to whom the surplus land has been allotted in Jhajjar constituency.

Sr. No.	Name and address of the allottee	land allotted	
		K	M
1.	Shri Kehar Singh son so Bhagal, Harijan of Village Koka.	16	11
2.	Sarvshri Kanhiya and Ram Chand sons of Bujan of Village Koka	15	8
3.	(Harijans)		
4.	Shri Chhaju Ram Son of Ramji Lal of village Koka. (Harijan)	16	2
5.	Sh. Neki Ram son of Kala Ram of village Koka. (Harijan)	17	17
6.	Shri Dhan Singh Son of Chandgi of village Gijarod.(Harijan)	14	00
7.	Shri Amar Singh Son of Jag Ram of village Gijarod. (Harijan)	13	00
8.	Shri Krishan Chand son of Rup Chand of Village Gijarod. (Harijan)	12	8
9.	Shri Jagdish son of Chuhar Ram of village Gijarod (Harijan)	13	00

	Total	118	46
--	--------------	------------	-----------

Harijan Colony in Bawal Constituency

***632 Shrimati Shakuntla Bhagwaria:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Harijan Colony in Bawal Constituency, District Mohindergarh, if so, the details thereof?

Finance Minister (Shri Preet Singh):

No Such proposal in unde the consideration of the Government.

Sub-Depot at Kaithal

***572 Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be pleased to State whether the building of the Sub-depot of Haryana Roadways at kaithal has since been completed, if not, the time by which it is likely to be completed.

Chief Minister(Chaudhri Devi Lal):

Bus stand building and work shop building of Kaithal depot (not sub-depot) have been completed. The administrative block will be completed on availability of funds.

अतारांकित प्र नों एवं उत्तर

**Employees of the Haryana Agro-Industries
Corporation resigned during emergency**

159 Shri Kanwal Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether some employees of the Haryana Agro-Industries Corporation had resigned from their services during Emergency; if so, the number thereof;

(b) whether the employees as referred to in part(a) above have been taken back to their services subsequently, if so, whether such order were passed by the competent authority; and

(c) if not, the action taken proposed to be taken against the persons responsible for committing the irregularity?

Minister for Agriculture (Brig. Rna Singh):

(a) Yes, The number is thirty (30).

(b) Out of 30 such employees, 10 were taken back. In their cases, order were passed by the competent authority.

(c) The question does not arise, as no irregularity was committed by any person.

Enquiry against Agro-Industries Corporation

160 Shri Kanwal Singh: Will the Minister for agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an enquiry is being conducted by the D.S.P. Vigilance Department in connection with some irregularities committed by the Haryana Agro-Industries Corporation;

(b) whether it is also a fact that the Director of the afore-said corporation has refused to hand over the documents to the concerned officer; and

(c) if the reply to part (b) above is in the affirmative the action taken by the Government in this matter?

Minister for Agriculture; (Brig. Ram Singh)

(a) Yes

(b) No

(c) In view of the answer at (b) above, the question of any action by Government does not arise.

Opening of Veterinary Hospitals/Dispensaries

169 Chaudhri Har Sawrup Bura: Will the Minister for Cooperation be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Veterinary Hospitals or Dispensaries in the Villages where the Buildings are available in the State; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of Government to open Veterinary Dispensaries in the following villages of Meham Constituency-

(i) Balba (ii) Farmana (iii) Beman (iv) Kharanti (v) Kharkara (vi) Bharan Bhani (vii) Sisar Khan (viii) Bhaini Chanderpal.

Minister for Corporation (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) Yes. It is proposed to open 20 new Veterinary Dispensaries in the current year in the state. New Dispensaries are opened preferably at places where Veterinary aid is not available in the vicinity i.e. within a radius of 8 K.M. Preference is given to Gram Panchayat where buildings for the dispensary and rent free residential accommodation for the staff is made available by the local Gram Panchayat/Samiti.

(b) No. Not for the time being.

Repair of Damaged Roads in Meham Constituency

170. Chaudhari har Sawrup Bura: Will the Minister for Public works Department be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads in Meham Constituency.

(i) Farmana to Dadwa (ii) Madina to Ajaib (iii) Madina to Bharan (iv) Jind road to Indergarh (v) Bainsi to Gagehri (vii) Madiwati to Gorawor?

Public Works Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathi):

Annual repairs are already being carried out on these roads. The position of repairs in respect of each is as under;-

(i) No damage is done to this road on account of floods, hence question of special repairs has not arisen.

(ii) The road has been damaged in the floods of 1977. It requires raising and strengthening. the repair work will be undertaken at the earliest.

(iii) The road has been damaged in the floods of 1977. It requires raising and strengthening. the repair work will be undertaken at the earliest.

(iv) The repair work is in hand.

(v) No damage is done to this road an account of flood, hence question of special repair does not arise.

(vi) The road was damaged in the floods of 1977 and the damagees have already been set right.

New Mandi at Village Lakhan Majra, District Rohtak

171. Chaudhri Har Sawrup Bura: Will the Minsiter for Agriculture be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Mandi at Village Lakhan Majra in Meham constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

Agriculture Minister (Brig. Ran Sigh):

(a) A proposal was received on 18-10-77 in the office of the Haryana Agriculture Marketing Board, Chandigarh for the establishment of a new Market at Lakhan Majra. After examining the proposal the Marketing Board thought expedient to open a purchase centre there instead of a market.

(b) No specific time can be laid down for the setting up of a new Mandi there, as the same would depend upon the quantum of arrival of agricultural produce subsequent to the opening of purchase centre.

Regularisation of Adhoc and Stipendiary teachers.

161. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether any decision has since been taken to regularise the services of adhoc and stipendiary teachers in state of Haryana; and

(b) if so, the time by which they are likely to be made regular?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

(a) Govt. has decided that all the stipendiary masters/mistresses/ C&V & J.B.T. Teachers recruited on adhoc bases before 1973 and during the strike period in 1973 and who are still continuing in service and whose record is satisfactory be regularised.

(b) Modalities of this are being worked out. It is not possible to give precise time limit for this.

Shortage of Anti-Rabbic Vaccine

162. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is shortage of Anti-Rabbic Vaccine for the treatment of rabbies; and

(b) if not, the reasons for not supplying the vaccine in the Civil Hospital Faridabad since May, 1978?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla verma)-

(a) & (b) Yes, there is at present shortage of Anti-rabbic Vaccine due to very meagre supply of the vaccine from Central research Institute, Kasauli, which was the regular source of supply to Haryana State. Now the government of India has decided to meet the requirement for Haryana from Pasteur Institute, Calcutta.

Prohibition in the State

163. Swami Aditya Vesh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is in the knowledge of the Government that the liquor vendors open their shops on the closed days of week from the back door in the State; and

(b) if so, the steps taken by the Government in this behalf?

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Sher Singh):

(a) Some liquor vendors have been found to have opened their shops on the closed days of the week.

(b) The excise staff are regularly conducting surprise checks on vends on closed days and penal action is being taken against the offernders under the Haryana Liquor Licence Rules.

Increasing Price of Foodgrains and Essential Commoiditis

164. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Food & Supply be pleased to state-

(a) whether, it is a fact that the prices of foodgrains and other commodities of domestic use have increased by 10% during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the state; and

(b) if so, the steps taken by the Government to check the increasing prices?

Minister for Food & Supplies (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) Except for the basmati rice foodgrains price have not increased by 10% during the period from 4th July, 77 to 30th June, 78 in the State. As regards other commodities of domestic use, their number being almost unlimited it is not possible to give precise reply.

(b) In view of (a) above question does not arise.

New Civil Hospital Building at Jind

186. Shri Mange Ram Gupta: Will the Minster for Health be pleased to state-

(a) whether the old building of the civil Hospital Jind City has been demolished and debris cleared after construction of the New Hospital building; and

(b) whether the Government has any proposal to construct some building; if so, the nature thereof and the time by which it will be constructed?

Revenue Minister(Thakur Bir Singh):

(a) Yes.

(b) No. There is no proposal to construct any building there at present.

Trained Work Mistri at Jind Depot

187. Shri Mange Ram Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is a shortage of trained work Mistris in the workshop set up by the Haryana Roadways at the Jind Depot as a result of which great number of buses of the Jind depot remain out of order; and

(b) whether it is also a fact that the buses of Jind depot playing on the longer routes are not provided with the stepnies?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) Yes efforts are being made to make good this shortage.

(b) Out of the buses plying on log routes, only 21 buses were not provided with spare wheels. Now all these buses have been provided with spare wheels.

Payment due from Co-operative Sugar Mills in the State

188. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Co-operation be pleased to state-

(a) whether there are some Co-operative Sugar Mills in the state which have still to make the payment in respect of sugacane supplied to them by the farmers; and

(b) if so, the amount due from each Mill together with the time by which the payment is likely to be made?

Co-operation Minister(Chaudhri Bhajan Lal);

(a) Yes.

(b) The amount due from each Mill as on 22-8-78 is as under:

1.	Sugar Mill, Rohtak	Rs. 55.47 lacs
2.	Sugar Mill, Sonapat	Rs. 106.74 lacs
3.	Sugar Mill, Karnal	Rs. 62.50 lacs
4.	Sugar Mill, Panipat	Rs. 69.20 lacs

The State Government has advanced a loan of Rs. 1.50 crore to the above Mills to meet the emergent need for cane payments to growers. The balance amount will also be discharged by the mills in the near future.

Veterinary Hospital in the State

189. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Co-operation be pleased to state-

(a) Thirteen new dispensaries shave been opened as under:-

Tehsil	No. do Dispensaries opened
Tohana	1
Jhajjar	1
Sirsa	1
Hissar	2
Karnal	2
Kaithal	1
thanesar	1
Sonepat	2
Jagadhari	1
Loharu	1

(b) Seven more dispensaries would be opened in the remaining part of the current financial year. New Dispensaries are generally opened at laces where veterinary aid is not available within a radius of 8 Kms., and also where buildings for the dispensary and rent-free accomodastion for the staff are made available by the local Gram Panchayat/Samiti. The

places for opening the remaining seven dispensaries have not yet been decided.

Taking over the Gandhi Memorial High School

190. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether residents of village Nariana and neighbouring villages have approached the Govt. for taking over the Gandhi Memorial High School by the Government. if so, whether it has also been proposed by the villagers that they will also hand over about 25 acres of land valued at about Rs. 2.50 lakhs and building also; and

(b) if so, the reasons for not taking over the school.

Minister for Education(Shri Hira Nand Arya):

(a) Yes.

(b) This is an enrecognised school. Permanently recognised institutions are only considered for being taken over by Government. However, the case for taking over the said school is under consideration of Government.

Complaint regarding Embezzlement in the Mini Bank

191. Shri Ran Singh Mann: Will the Minister for Co-operation be pleased to state whether the Government has received any complaint regarding large scale bungling and embezzlement committed in the Mini Bank of village Palri in district Bhiwani; if so, the action taken thereon?

Co-operation Minister (Chaudhri Bhajan Lal): Yes. Arbitration proceedings for recovery of the embezzled amount have been instituted. Further a case is being registered with the Police against Shri Ram Kumar ex-Secretary of the Society.

Compensation paid for land acquired for Jawahar Lal Nehru Canal

192. rao Dilip Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the compensation for the land acquired for the Jawahar Lal Nehru Canal has been paid to the owners of the land; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the time by which the compensation is likely to be paid?

अ:स:क:22 / 17 / 78 छह:एस:पी: डबल्यू-11

विरेन्द्र सिंह

मंत्री

सिंचाई एवं बिजली विभाग

हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक 24-8-78

प्रिय कर्नल साहब,

विधान सभा अतारांकित प्र न नं० 192 जो 28-8-78 की सूची में राव दलीप सिंह, सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम दर्ज है के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि उक्त प्र न का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ है। इस प्र न के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जिसका अभी कुछ और समय लगेगा। सूचना प्राप्त होने पर आपको भेज दी जायेगी।

आपका

हस्त / -

(विरेन्द्र सिंह)

कर्नल राम सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

घोशणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा

Mr. Speaker: Now I will make some annoucements.

सभापतियों की सूची

Mr. Speaker: Under Rules 13(1) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairman:-

1. Ch. Rizaq Ram, M.L.A.,
2. Shri K.L. Poswal, M.L.A.,
3. Ch. Khurshid Ahmed, , M.L.A., and
4. Smt. Sushma Swarj, , M.L.A.

याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions:-

1. Kr. Vijay Pal Singh (Deputy Speaker), Ex-Officio Chairman
2. Mrs. Sushma Swaraj, , M.L.A.,
3. Shri Fateh Chand Vij, , M.L.A.,
4. Ch. Birender Singh, , M.L.A.,
5. Comm. Shankar Lal, , M.L.A.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

सचिव: मैं उन विधेयकों का दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने बजट सत्र (फरवरी-मई 1978) में पास किये थे तथा जिन पर राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी है, सदन में प्रस्तुत करता हूँ:-

1. दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होलंडिंगज (अमैंडमेंट) बिल, 1978
2. दि हरियाणा ऐग्रीकल्चरल, क्रेडिट आप्रे ांज एंड मिसलेनियस प्रोविजन्ज (बैंक्स) अमैंडमेंट बिल, 1978

स्थगन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received an adjournment motion from Ch. Rizaq Ram. The matter raised is of urgent public importance. I, therefore, give my consent and hold it to be in order. The hon. member may ask for leave of the House to move it.

Rao Birender Singh: What about the other adjournment motion given notice by 8 of us from the opposition benches?

Mr. Speaker: I have only received the notice of adjournment motion of Chaudhri Rizaq Ram. चौधरी रिजक राम जी ने जो नोटिस दिया था वह मेरे सामने तकरीबन साढ़े बारह बजे लाया गया था और दूसरे नोटिस अगर दफतर में रिसीव हुये

होगें तो वे मेरे सामने नहीं लाये गये हैं उनको मैं स्टेडी करके अपनी रूलिंग दूंगा।

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने राबी व्यास के पानी के बारे में आज 12 बजे सैक्रेटरी साहब को पर्सनली एक एडजर्नमेंट मो इन दिया था। वह मो इन मैंने इस मो इन से पहले दिया था इसलिये प्रैसीडेंट के मुताबिक वह इससे पहले टेक-अप करना चाहिये था?

श्री अध्यक्ष: अगर उसका भी विशय वही है तो इसके उपर सब को बोलने का मौका मिल जाएगा।

Rao Birender Singh: The question is whether the adjournment motion received before Chaudhry Rizaq Ram's motion should have been ignored?

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबाना, चौधरी रिजक राम का मो इन एडमिट हो चुका है।

Rao Birender Singh: It means the other motion stands rejected even though it was received earlier on the same subject.

Mr. Speaker: As regards the other motion, I will examine it and I will give my ruling tomorrow.

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, जो एडजर्नमेंट मो इन मेरी तरफ से हे वह मैं आपकी इजाजत से पढना चाहता हूँ।

I beg leave to move for the adjournment of the Business of the House for the purpose to discuss a definite matter of urgent public importance i.e.....

स्वामी अग्निवे : अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें कि वे अपना मोशन हिन्दी में पढ़ें।

श्री अध्यक्ष: एक दफा इनको अंग्रेजी में पढ़ने दीजिये बाद में अगर ये चाहें तो हिन्दी में अनुवाद कर दें।

Chaudhry Rizaq Ram: I beg leave to move for the adjournment of the Business of the House for the purpose to discuss a definite matter of urgent public importance i.e. arising because of the backing out of the Punjab Government from the agreement arrived at in the year 1976 in pursuance to an Award of the Central Government of the same year relating to the fixation of shares by half and half of Haryana and Punjab States on surplus Ravi Beas Waters.

Mr. Speaker: Has the hon. member leave of the House to move his motion?

Voices: Yes, Sir.

Mr. Speaker: The leave is granted and discussion on this motion will take place immediately after the completion of to-day's business of the House. I think it will not take too much time. यानि पहले जो बिजनेस इन हैंड है उसको कम्प्लीट करके फिर इस एडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन होगा। if the Government has no objection.

Rao Birender Singh: Point of order. When the adjournment motion has been admitted and the discussion has to take place immediately after the completion of the current business of the House then adjournment motion means nothing. The adjournment motion means for the adjournment of the business of the House, so it should be discussed immediately.

Mr. Speaker: I am perfectly prepared to adjourn all the business of the House and I think, it is a very reasonable request from Rao Birender Singh. मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिये यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसके लिये तैयार हूँ बशर्त कि गवर्नमेंट को कोई आब्जैक्शन न हो।

Rao Birender Singh: It is a question of Procedure-

Mr. Speaker: The Rule is quite clear which is as under-

“If the leave is granted, the motion, shall be taken up on the same day at the normal hour of interruption of business or if the business on the list for the day is concluded earlier; at the conclusion of the said business.....”

I think this rule is absolutely crystal clear. Now I think it can be discussed just now or at the conclusion of the day's business. The request received from Rao Birender Singh to adjourn the House immediately can be acceded to if the Government has got no objection.

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है चाहे इस मोशन पर

डिस्कान अभी भुरु कर लो और चाहे बाद में कर लो। जैसे मेंबर साहेबान चाहते है, कर लो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

Chaudhri Khurshid Ahmed: If the Government has no objection then it should be taken up immediately.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इसी वक्त इस पर डिस्कान हो जाये तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी आइटम्स एंजेडा पर है उनको डिस्पोज आफ करना है, मुक्कल से 5 मिनट और लगेंगे। The first thing is that the Finance Minister is to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 1978-79.

चौधरी भामदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैंने प्रिविलेज मोशन दी थी, उसके उपर आपने क्या एक्शन लिया है?

श्री अध्यक्ष: वह मुझे रिसीव हो गई है मैं इसको एग्जामिन करूंगा और उसके बाद कल फैसला दूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, पांच छः कागज बीच में और है उनको टेबल पर रखना है, इसके बाद ऐडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कान हो जाये।

श्री अध्यक्ष: क्यों राव साहब, आपको कोई आब्जैक्शन तो नहीं है?

राव वीरेन्द्र सिंह: कोई औब्जैव न नही है।

वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम कि त) पे ा करना।

Finance Minister(Shri Preet Singh): Sir, I beg to present the Supplementary estimates (First Instalment) for the year 1978-79.

वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुमान(प्रथम कि त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पे ा करना।

Mr. Speaker: The Chairman of the Committee of Privileges to please present the preliminary Report of the Committee of Privileges.

Chaudhri Partap Singh Thakran (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regar to the question of alleged contempt of the House against Chaudhri Surrinder Singh, M.L.A. for making a misleading statement in the House.

Sir, I also bet to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1979.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1979.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1979.

The motion was carried

मेज पर रखे गये कागज-पत्र

स्थानीय प्रशासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 1, 1978 (1978 का हरियाणा अध्यादेश सं.1) मेज पर रखता हूँ।

Agriculture Minister(Brig. Ran Singh): Sir, I beg to lay on the Table the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1978 (Haryana Ordinance No. 2 of 1978)-

I also lay on the Table the 10th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1976-77, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962 (Central Act 58 of 1962).

Finance Minister(Shri Preet Singh): Sir I beg to lay on the Table-

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1976-77. The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1976-77. The reports of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1976-77 (Civil and Revenue Receipts) of the Government of Haryana.

Sir, I also beg to lay on the Table-

The Education and Languages Department's Notification No. 10/14-78- Edu1(3)-dated the 27th June, 1978, issued under section 3 of the Haryana Official Language Act, 1969, as required under section 7 *ibid*.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 60/Const./Art. 320/Amd. (1)78, dated the 7th June, 1978, issued under Article 320(3) of the Constitution of India, as required under Article 320(5) *ibid*.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 66/Const./Art. 320/Amd. (2)78, dated the 16th June, 1978, issued under Article 320(3) of the Constitution of India, as required under Article 320(5) *ibid*.

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

हरियाणा तथा पंजाब राज्यों द्वारा राबी-ब्यास के अतिरेक पानी का आधा-आधा हिस्सा निर्धारित करने के सम्बन्ध में 1976 में केन्द्रीय सरकार के पंचाट के अनुसार उसी वर्ष हुए समझौते से पंजाब सरकार द्वारा पीछे हटने सम्बन्धी।

Chaudhri Rizaq Ram (Rai): Sir, I beg to move-

That the House do now adjourn.

स्पीकर साहब, अडजर्नमेंट मो इन पर डिस्क इन करने के लिये अनुमति देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर साहब, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जिस मसले पर आज आपने

चर्चा करने की अनुमति दी है, वह विशय सरकार के लिये ही नहीं बल्कि हरियाणा के इस सदन के एक-एक माननीय सदस्य और हरियाणा की सारी जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और दरअसल सोचा जाये तो जिन्दगी ओर मौत का सवाल हैं स्पीकर साहब, आपको तो अच्छी तरह से मालम है कि 1960 में, केन्द्रीय सरकार ने पाकिस्तान से 110 करोड रूपया देकर, सतलुज-ब्यास-रावी का पानी, पंजाब और दूसरे इलाकों के लिये प्राप्त किया था और इसके बाद इस बात पर विचार चलता रहा कि इस पानी का बंटवारा किस तरह से किया जाए। नतीजा यह था कि सजलूज, ब्यास और रावी दरियाओं में लगभग 15.85 मिलियन एकड फीट फालतू पानी है जिसको हमारा इलाका और दे 1 के दूसरे भाग जिनको पानी की बहुत जरूरत है , उपयोग में ला सकते हैं। जिस वक्त यह फैसला हुआ कि इतना पानी फालतू है, इसके बाद सतलुज पर भाखडा डैम का निर्माण किया ओर सतलुज दरिया का जितना फालतु पानी था उसको हम इस्तेमाल करने लगे पंजाब भी करता रहा, राजस्थान भी करता रहा और हरियाणा भी करता रहा। इस पानी का बंटवारा भी केन्द्रीय सरकार ने किया था जिसमें से 0.60 मिलियन एकड फीट जम्मु एण्ड क मीर के लिये दिया गया, 8 मिलियन एकड फीट राजस्थान के लिये और 7.2 मिलियन एकड फीट पंजाब के लिये मखसूस किया गया। उस वक्त हरियाणा बना नहीं था, बल्कि पंजाब का हिस्सा था। यह कम्पोजिट पंजाब की बात है जब पंजाब को 7.2 मिलियन सकड फीट पानी अलाट हुआ था। उस वक्त भी यह सवाल उठा था कि

इस पानी को किस तरह से प्रयोग में लाया जाए, किस तरह तकसीम किया जाये। सन 1964-65 में स्पीकर साहब, पंजाब की उस वक्त की सरकार ने जब कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, दो कमेटीज बनाई थी। एक हरियाणा डिवैल्पमैट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष पंडित श्रीराम भार्मा जी थे और दूसरी हरियाणा पंजाब फूड कमेटी थी जिसमें केवल एकसपर्टस ऐसोसिएट किये गए थे। उसके एक मैंबर एग्रीकल्चर के बहुत ही सम्मानित और माने हुये डायरेक्टर थे। एक इरीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर उसके मैंबर थे और एक एस0ई0 जो ज्यादा से ज्यादा काबिल समझे जाते थे, वे भी उसके मैंबर थे। इन तीन एकसपर्ट अफसरों की वह कमेटी बनी। इस कमेटी से पहले जा `हरियाणा डिवैल्पमैट कमेटी बनी थी उसने सारी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा के इलाकों में पानी की ज्यादा आवश्यकता है और इस पानी का अधिकतर हिस्सा हरियाणा के प्रयोग में लाया जाना चाहिये। एकसपर्टस की फूड कमेटी जो 1965 में बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि 7.2 मिलियन एकड फीट पानी में से 4.8 मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा के इलाके में इस्तेमाल होना चाहिये। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दोनो रिपोर्टें आई, और भी तरीकों से इसकी जो छानबीन हुई उससे भी यह पता चलता है और आप भी तथा दूसरे माननीय सदस्य भी इस बात की जानकारी रखते हैं कि पंजाब की निस्वत हरियाणा में काफी ऐसे इलाके हैं जिनमें आज पानी के बगैर बड़ी मुश्किल किसानों को भी है और इस क्षेत्र की

आर्थिक व्यवस्था में भी इसकी वजह से बड़ी रूकावट है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो महेन्द्रगढ़ के इलाके में, गुडगांव जिला के इलाके में, जींद के इलाके में, हिसार और सिरसा जिला के इलाके में तथा और भी जो इलाके हैं जिमें वैस्टर्न जमुना कैनाल से पानी लगता है उनमें आप निश्चय ही यह पायेंगे कि वहां फसलों की पकाई के लिये पूरी तरह पानी नहीं मिलता।

श्री जगन नाथ: डिप्टी स्पीकर साहब, यह केस सैन्टर में पूलीड करने के लिए हरियाणा की तरफ से मुख्य मंत्री जी, चौधरी भजन लाल जी और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी गये थे लेकिन इन तीनों में से कोई भी इस समय यहां पर नहीं है। क्या आप उनको बुला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वे अभी आ जाएंगे, आप चौधरी साहब को बोलने दीजिये। (विधान)

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बर्ज लौबी में बहुत ज्यादा भार होने के कारण बड़ी डिस्टरबैन्स हो रही हैं। कृपया इसका कुछ इलाज करें।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी रामलाल जी जा रहे हैं, आप अपना भाषण शुरू करें।

चौधरी रिजक राम: तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा के कितने ही इलाके ऐसे हैं जहां नाकाफी पानी होने की वजह से किसान बड़ी मुसीबत में हैं और

बहुत से इलाकों की आर्थिक हालत बड़ी कमजोर है। जहां तक वैस्टर्न जमुना ट्रैक्ट का सवाल है, जो इलाके करनाल के है, रोहतक जिला के है या दूसरे इलाके हैं जहां इस नहर का पानी लगता है, वहां दिसम्बर से लेकर मई जून तक, डिप्टी स्पीकर साहब, कभी दो हजार क्यूसिक्स, कभी अढ़ाई हजार क्यूसिक्स और कभी तीन हजार क्यूसिक्स पानी इस दरिया में रह जाता है जबकि हांसी ब्रांच और दिलली ब्रांच की कैपेसिटी 12 हजार क्यूसिक्स तक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है लेकिन इसमें केवल दो तीन हजार क्यूसिक्स तक पानी रह जाता है, जिसमें यू0पी0 का हिस्सा भी है और दिल्ली को भी हम पानी देते हैं। इसके अलावा तीनसौ, चार सौ क्यूसिक्स एबजौप नि लौसिज इसमें हो जाते हैं। इस तरह से गर्मियों के महीनों में या उस वक्त जब फसल का त करने के लिये पानी की जरूरत होती है मुक्ति कल से पांच सौ या छः सौ क्यूसिक्स पानी इस दरिया में मिलता है हरियाणा के इलाके में कितने ही माइनर्ज और रजबाहे ऐसे हैं जिनमें दो दो महीने तक पानी नहीं पहुंचता, उनकी बारी ही नहीं आती। एक दफा बीज डालने के बाद यदि किसान को डेढ़ दो महीने तक पानी न मिले तो उस किसान की हालत क्या होगी और क्या पैदावार हो सकती है इस बात का आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, भाखड़ा के इलाकों में भी, जहां भाखड़ा नहर से पानी मिलता है, डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी दिक्कत है। वहां का इलाका रेतीला है। वहां वाटर लोगज थोड़े हैं। उस रेतीले इलाके में आबपा ही ठीक तरह से नहीं होती। कितना ही

पानी खेतों में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां महेन्द्रगढ़ जिले, गुडगांव जिले, झज्जर तहसी और जींद जिले के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी लगता ही नहीं है और आये साल खु कसाली ओर कहत की वहज से वहां तबाही होती है। इसके मुकाबले मेंपंजाब में पौजी उन बहुत बेहतर है। आप होि ायारपुर का जिला ले लें। वहां की परिस्थिति की वजह से वहां किसी नहर के पानी की आव यकता नहीं हैं इसी तरह जालंधर और अमृतसर के इलाके है। आज जितना पानी हरियाणा को मिलता हे उससे कई गुणा ज्यादा पानी उनके नहरें वहां देती है। जिसवक्त ज्वांयट पंजाब में इरीगे उन का महकमा मेरे पास था उस वक्त मुझे जालंधर और अमृतसर के इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ था। मैंने एक बार वहां किसानों की मीटिंग बुलाई थी। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि ब्यास प्रोजैक्ट का काम चालू है और इसके बनने के बाद जब भाखडा में पानी बढ जाएगा तो हम इस इलाके को ज्यादा पानी देंगे। यह सुन कर किसानों के चेहरे पर मुरदगी छा गई। मैंने उनसे इसकी वजह पूछी। वे कहने लगे कि हमें ज्यादा पानी नहीं चाहिये क्योकि हमारी जमीन ज्यादा पानी की वजह से खराब होने लग रही है। इस पानी को अगर आप कम भी कर दें तो भी हम राजी हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जालन्धर के जिले में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बहुत ज्यादा है। जहां यह पानी 1.9 क्युसिक्स पर थाउजैन्ड है वहां वाटर लौगिंग है। मैंने उस वक्त वहां का वाटर अलांस बढानाचाहा था। मैंने इंजीनियर्ज को भी

वहां भेजा था लेकिन वहां किसी ने भी पानी नहीं नेला चाहा। मैंने किसानों की मीटिंग भी बुलाई। उन्होंने कहा कि हमें फालतु पानी नहीं चाहिये। हमारे यहां अयूबवैलज इतने लग रहे हैं कि हमें नहरों कि पानी की आव यकता ही नहीं है। वहां इतनी नहरें हैं जिनका वाटर अलाउंस एक हजार पर साढ़े चार क्युसिक्स से दस क्युसिक्स तक है जबकि हमारे यह केवल 2.4 क्युसिक्स है। जिस वक्त हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ, दोनो स्टेटस अलग-अलग हुई, उस वक्त कुओं को भामिल करके, नहरों को भामिल करके ओर तालाबों आदि को भामिल करके हरियाणा में पानी की इंटेसिटी 38 परसेंट थी जबकि इसके मुकाबले पंजाब में 72 परसेंट थी। आज वहां यह इंटेसिटी दो सौ परसेंट तक पहुंच गई है जबकि हमारे यहां पोजी इन यह है कि एक पानी लगने के बाद सारा साल गुजर जाता है, फसलें सूख कर चली जाती हैं मगर पानी नहीं मिलता। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह पानी सरप्लस डिक्लेयर हुआ और आज की परिस्थिति को देखते हुये भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब के पास इतना पानी है, अन्डर ग्राउन्ड वाटर भी और नहरों का पानी भ कि हरियाणा उससे बहुत पीछे है और बड़ी भारी जरूरत हरियाणा के इलाके को पानी की है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप गौर फरमायेगें कि इन सारे हालातों को देखते हुये आठ साल पहले सन 1970 में जो इन्डो-पाक वाटर ट्रीटी हुई थी उस वक्त से आज तक दिल्ली की केन्द्रीय सरकार ने कितनी ही कमेटियों बैठाई, तीन चार कमेटीज बैठाई हैं सभी ने हरियाणा का ख्याल रखने के लिये कहा

हैं उन कमेटीज से केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी और अन्त में इक्सपर्ट कमेटी जो दिल्ली की सरकार ने बैठाइ थी उसने भी यही राय दी थी कि पानी के बंटवारे के लिये हरियाणा का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि हरियाणा का इलाका काफी डैजर्ट है जो बिल्कुल रेगिस्तान के समान हैं वहां पर पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। हरियाणा के अन्दर तो अन्दर ग्राउंड वाटर भी नहीं है। भिवानी और महेन्द्रगढ के इलाके में तो पीने के पानी के लिए कई कई मील लाने के लिये जाना पडता है। वहां पर अन्दर ग्राउन्ड वाटर लेवल बहुत नीचे हैं बरसात में थोडा बहुत पानी जमा हो जाता है। तो उसी पानी की पीते है, उसी पानी से सारा काम चलाते है। इस सारे हालात को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार ने सन 1976 में फैसला दिया कि आधा पानी हरियाणा को दिया जावे और आधा पानी पंजाब को दिया जाये। इस पानी के बांटवारे को पंजाब सराकर ने मंजूर कर लिया ओर मंजूर ही नहीं किया बल्कि आप सभी सदस्यगण को मालूम है कि एक करोड रूपया नहर खुदाई के लिये, कैरियर चैनल बनाने के लिए हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार ने ले लिया। इस फैसले को मंजूर करने का इससे ज्यादा सबूत कोई नहीं हो सकता। पंजाब सरकार ने हरियाणा से एक करोड रूपया ले लिया और कोई भी काम आज तक भुरु नहीं किया। जमीन भी इक्वायर करनी भुरु नहीं की है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा पिछले बजट सेशन में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एलान किया था और हाउस में फरमाया था कि पंजाब सरकार के साथ पानी के बंटवारे के बारे में हमारा मुकम्मल फैसला हो चुका है। पंजाब सरकार के साथ हमारा कोई झगडा नहीं है यहां पर एलान कर दिया गया कि आठ मार्च मुकर्रर कर दी गई है जिस दिन नहर का काम शुरू कर दिया जायेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी कस्सी से उसका महुर्त करेगें और पंजाब के मुख्य मंत्री जी उस कार्यवाही की प्रधानता करेगें। हमारी सरकार का जो यह ख्याल था कि पंजाब सरकार के साथ हमारी दोस्ती बढ जायेगी ओर ताल्लूकात बढ जायेगें लेकिन सब चीजें उसके उल्ट हुईं।

श्री भाम शेर सिंह: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। मैं आपका ध्यान रूल 72 की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है—

‘No speech during the debate shall exceed fifteen minutes in duration’.

Mr. Deputy Speaker: There is a proviso to it also.

Shri Shamsheer Singh: There is a proviso no doubt. बाद में भी बोल सकते हैं और जवाब दे सकते हैं क्योंकि he is the mover of the motion. इस मोशन पर और भी बहुत से मੈंबर बोलना चाहते हैं।

चौधरी रिजक राम: जितना समय आप चाहें ले ले। मेरी समझ में नहीं आता कि चौधरी भाम और सिंह और पोहलू साहब के पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इसको भाट कर दे तो अच्छा रहेगा।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी और यह उम्मीद थी कि जिस पौजी एन में हरियाणा और पंजाब बना है उसी प्रकार से ताल्लुकात रहेंगे और इस विषय पर किसी प्रकार का कोई झगडा नहीं होगा लेकिन वह बात सिरें नहीं चढी और आज के दिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार का 1976 का फैसला मानने से इन्कार कर दिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि यह डिसिजन एमरजेंसी में लागू नहीं होने देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब के बीच सन 1976 में जो समझौता हुआ था उसी के आधार पर करोडों रूपया नहर बनाने पर खर्च किया जा चुका है। 25 करोड़ रूपया लिंक कैनाल पर खर्च करना है और काफी रूपया और भी खर्च करना है लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक जमीन भी इक्वायर नहीं की है। उनकी नीयत है कि उस पर काम चालू न किया जाये। हरियाणा को कितना भारी नुकसान हो रहा है इस विषय में उनको कोई ख्याल ही नहीं है। हरियाणा अपनी तरफ बनने वाली कैनाल पर करोडों रूपये खर्च चुका है

और पानी न मिलने के कारण काफी नुक्सान उठा रहा है जो पानी हरियाणा को मिलना है वह सारा यों ही खराब जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे और माननीय सदस्य भी इस बात पर अफसोस जाहिर करेंगे कि जो सरप्लस पानी रावी और ब्यास का हरियाणा को मिलना चाहिये उसको न पंजाब सरकार ही इस्तेमाल कर रही है और न ही पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वह पानी पाकिस्तान की तरफ यों ही बेकार जा रहा है। सारा का सारा पानी खराब जा रहा है लेकिन पंजाब सरकार उस पानी को हरियाणा को देने के लिये तैयार नहीं है। ये पड़ोसी और दोस्त होने के हालात हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा न कहते हुये सभी सदस्यों से इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जिस मरहले पर बातचीत पहुँची है जो रवैया पंजाब सरकार ने अपनाया हुआ है, हरियाणा के एक एक आदमी को इस बात का भाव हो गया है कि केन्द्रीय सरकार ने जो सन 1976 में अवार्ड दिया था उसको लागू करने में पंजाब सरकार हर प्रकार से बाधा डालना चाहती है मैं आशा करता हूँ कि हरियाणा सरकार सारी भावित लगाकर इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करायें। अगर इस कार्य में सरकार की तरफ से कोई कोताही हुई तो हरियाणा की जनता इस जनता पार्टी को टिकने नहीं देगी। मेरा यह विश्वास है कि हरियाणा का एक एक आदमी और इस हाउस का एक एक माननीय सदस्य का सहयोग और भावित सरकार के साथ है। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पानी के हिस्से

को ले ताकि जनता उनको मुबारिकबाद दे, महल थोथी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मंत्री महोदय ने यहां पर कई बार कहा है कि हम अपना पानी का हिस्सा पूरा लेंगे और हर मीटिंगें में शामिल होंगे। आप हैरान होंगे कि पंजाब सरकार ने थी डैम पर काम भी शुरू कर दिया है। अपने बजट में से रूपया लेकर इंजीनियर मुकर्र कर दिये हैं सारा काम चालू है और हमारी सरकार इस विषय में अभी तक चुप बैठी हुई है। हरियाणा सरकार को तो 15/20 दिन हुये कुछ जो आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 24-7-78 को इस बारे में बयान दिया है वरना वे तो बयान देते हुये भी भार्माते थे और चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने तब बोलना शुरू किया हे जब पानी सिर से उपर चला गया है वरना वे भी चुप बैठे रहें। पंजाब सरकार सरप्लस वाटर को प्रयोग में ला रही है। उधर रावी के पानी के लिये थीं डैम पर काम चालू है। हरियाणा की सरकार को भी इस मामले पर पूरी भाक्ति लगा कर अपना हिस्सा लेना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved;

That the house do now adjourn.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, आज रावी ब्यास का पानी हरियाणा की सारी जनता के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल है। हरियाणा पहले ही कर्जे के नीचे दबा हुआ है और हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाइ का करोड़ों रूपया हरियाणा में एस0वाई0एल0 के लिये नहरों को

बनाने के लिये लगाया हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर सरकार समझदार होती, सरकार ने अपने दिमाग को कुछ लडाया होता, कुछ सोचा होता तो सबसे पहले नहर नावी ब्यास का पानी लाने के लिये पंजाब में भुरू होनी चाहिये थी। पंजाब में पूरी करके तब जाकर हरियाणा में नहरें खोदनी भुरू करनी चाहिये थी। डिप्टी स्पीकर साहब, आज करोड़ों रूपया हमारे हरियाणा का लगा हुआ है और वहां से पानी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पंजाब वाले इन्कार कर चुके है। पंजाब वाले पानी नहीं देगें जैसे कि हालात दिखाई देते है, पानी मिलने का कोई ढंग नजर नहीं आता है। पिछले सै। न में यहां पर चीफ मिनिस्टर साहब और आई०पी०एम० साहब ने कहा था कि सै। न खतम होते ही हम जाकर उद्घाटन करेगें और वहां पर पंजाब में खुदाई भुरू हो जायेगी जहां पर करोड़ों रूपया पहले ही जमा हो चुका है। अगर डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब हमें पानी नहीं देता तो जितनी हमारी नहरे खुदी हुई है, वहां पर सुसे ओर गीदड़ बयाएंगें और तो कोई काम की बात नहीं रहेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारी पंजाब से साथ दोस्ती है, इस दोस्ती का ढोल सारे हरियाणा ओर पंजाब मे पिट रहा है कि चौधरी देवी लाल ओर सरदार प्रका। सिंह बादल पक्के दोस्त है, अगर पक्की दोस्ती है और अगर पंजाब हमें छोटा भाई समझता है तो जितने हमारे झगडे है, वे सारे के सरे एक मेज पर बैठकर हल कर लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें पिछली सरकार भी फेल रही हे क्योकिं वह भी कोई झगड़ा खत्म

नहीं करवा सकी न चण्डीगढ का, न रावी ब्यास पानी का और न ही बाउन्डरी का। लेकिन यह सरकार भी फेल रही हैं यह झगड़े हमारे खत्म नहीं हुये (विधान) हमारेवाली तो तगडी थी। हमारे वाली तो थोड़े दिन ही रही। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई डेट मुकर्रर कर दे पंजाब के साथ समझोता करने की। हमारी सरकार सैन्टर से इन्टरफीयर करने की प्रार्थना करती हे लेकिन वह खुल्लमखुला बगावत करचुके है। पंजाब वाले यह कहते हे कि हम सैन्टर की बात मानने को तैयार नहीं है। यह अकाली दल वर्किंग कमेटी का फैसला था कि हम सेन्टर की बात नहीं मानेंगे। आज डिप्टी स्पीकर साहब, मामला बडा गम्भीर है, कोई छोटा मामला नही है। आज हरियाणा की जनता , हरियाणा का बच्चा बच्चा इस बात की इन्तजार कर रहा है कि जनता पार्टी क्या नारा देती है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा की जनता ओर हम सब सरकार के साथ है और इस वजल से हो सकता है इसमें मजबूती आये हम इनके साथ है। अगर सरकार में इस मामले में मजबूती नहीं आयी तो लग इन्हे बखभोगें नहीं। कांग्रेस का तो जो हाल हुआ सो हुआ था, इनका इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि वे इस मामले पर बडी गमभीरता के साथ सोच विचार ले। जैसे दो सगे भाईयों की मिसाल हैं। अगर दो सगे भाई अलग होते है तो फुटी थालियों पर लटट बाज जाये, कोई मामुली बात नहीं , खून खराबा होताह ॥ तब जाकर अलग

होते हैं जो एक मां-बाप के होते हैं। यहां पर तो नारा लगाया जाता है भाईचारे का। अगर भाईचारा है तो हमारा बंटवारा ठीकठाक और ईमानदारी से कर लें, अगर भाईचारा नहीं है तो सेंटर से रिक्वेस्ट करें कि दिन मुकर्रर कर दो, महीने का, या दो महीने का कि इस दिन तक हमें हमारा पानी का हम मिलना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ बड़ा भारी जुल्म है पंजाब में हमारा पानी चलता रहे और पानी पाकिस्तान में जाता रहे और हमें अपना हक न मिले। जो आदमी मर जाता है उसका हक मर जाता है लेकिन जिन्दा आदमी का कभी हक खतम नहीं होता। आपको पता है कि जुल्म करना पाप है और उस जुल्म को सहना महापाप है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसमें डटकर स्टैंड लें। जहां पर सरकार का पसीन बहेगा, मेरा और मेरी पार्टी का और हरियाणा की जनता का और बच्चे बच्चे का आपके साथ खून बहेगा। हम हर लिहाज से आपका साथ देने के लिये तैयार हैं लेकिन पंजाब वाले हमारे भाइयों को भी यह सोचना चाहिये कि जब तुम्हारे यहां पानी वेस्ट जाता है, खराब जाता है और हरियाणा में पानी की कमी की वजह से सुखा है और फसल को पानी नहीं मिलता। इसलिये उनको हमें पानी दे देना चाहिये। मैं तो यह कहता हूँ कि पंजाब वालों को हमें हमारा पानी प्यार से दे देना चाहिये। अगर वह पानी नहीं देते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 'जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डीनाईड' हमारे साथ बे-इन्साफी हो चुकी है और पंजाब वाले अब इसमें ज्यादा ढील न

दे। अगर पंजाब वाले हमें कमजोर समझते हैं तो यह उनकी गलती है। हरियाणा के लोग कभी कमजोर नहीं रहे हैं। हरियाणा के लोग हमें लडाके रहे हैं। हमें फाईटर रहे हैं। 1857 में अंग्रेजों को भगाने में हरियाणा का सबसे ज्यादा हाथ था। हरियाणा के लोग अंग्रेजों को भगाने वाले थे और बड़े मजबूत थे। उनहोंने डटकर लडाई लडी। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूँ अपने भाई चौधरी वीरेन्द्र सिंह आई0पी0एम0 से कहना चाहता हूँ हरियाणा के नहर के वजीर से कहना चाहता हूँ कि या तो इस मामले में ढोल बजाकर दिन धर लें तो कोई हर्ज नहीं। अगर पंजाब वाले हमें कमजोर समझते हैं तो हमें उनकी दोस्ती नहीं चाहिये। मेरी पंजाब में बहुतों से दोस्ती है लेकिन दोस्ती किसी हद तक होनी चाहिये अगर वे पानी न दें तो चण्डीगढ में दिन धर लों, सारे पंजाब और हरियाणा का तोड हो जायेगा। दिन धर दो, तोड हो जायेगा। दिन धर लो, तोड कर लेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें फेल न हो, इसमें कमजोरी न दिखाये और अगर वह कमजोरी दिखाती है तो भाई राज बदल लो, तो हम तोड कर लेंगे।(व्यवधान) 9 महीने राज चला था। हमने हरियाणा में कोई कमजोरी नहीं दिखायी थी। मैं आन दी फलोर आफ दी हाउस यह कहना चाहता हूँ कि हमने इन्दिरा गांधी को सालस मानने से इन्कार कर दिया था। सन 1967 में एस0वी0डी0 की हरियाणा में सरकार थी। (व्यवधान एवं भाोर) सन 1967 में वि ाल हरियाणा पार्टी का राज था डिप्टी स्पीकर साहब,

उस वक्त चण्डीबढ का सवाल हमारे सामने आया था। उस वक्त की मजबूत ओर जालिम प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने जब यह एलान किया कि चंडीबढ के मामले पर मुझे सालिस मानो तो हमने उसका यह पैगाम नामन्जूर करके नाई का छोहरा भेज कर दिल्ली वापिस भेज दिया था और यह कह दिया था कि हम हरियाणा की जनता के सामने कमजोर होकर नहीं जाना चाहते , हम मजबूत होकर जाना चाहते है। इसी वजह से ऐसी सरकार को तोडा गया।उस राज को तोडा गया। उसके बाद कमजोर राज आया जो कांग्रेसी राज था और हरियाणा के हकूक की हिफाजत नहीं कर सका। अब उससे भी कमजोर राज आ गया है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा जनता सरकार इस पर डटकर स्टैंड ले हम सब लोग आपके साथ है वरना फिर आपके खिलाफ जनता लडेगी और हम भी लडेगें थैंक यू।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(महम): डिप्टी स्पीकर साहब,

नित्त मर—मर के जी रहा हूं, जिगर की आग पी रहा हूं।

मुझे तो पानी की ि आकायत है, दवा लिंक के सपनों की पी रहा हूं।

जो एडजर्नमेंट मो इन चौधरी रिजक राम जी ने हाउस के सामने रखा है उसके लिये उनका धन्यवाद करते हूये, मैं भी इस के उपर सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं। वैसे इस लिंक के

बारे में सब को पता है कि हरियाणा के लिये वह जिन्दगी ओर मौत का सवाल है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब ने इस लिंक के सवाल को दोबारा री-ओपन करवाने के लिये कदम उठाये है। इस वक्त हरियाणा सरकार के समने एक बडी ही अहम सवाल है। इस मामले की गम्भीरता इस बात से जाहिर है कि हरियाणा के सी.एम. साहब ने यह बयान अखबारों में दिया और हमने वह पढा कि एस0वाई0एल0 के मामले पर अगर वह फैसला हरियाणा के हक में न करवा सके तो चाहें मुझे इसतीफा ही क्यों न देना पडे, मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। मंत्री जी यहां पर बैठे है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी यहां पर हाउस को यह अ योर करवायें कि जो करोड़ों रूपया भिवानी जिले के अनदर इस पानी के इसतेमाल के लिये लगाया जा चुका है, उसको बचाने के लिये वह उचित कार्यवाही करेगें। आप देखिये हरियाणा के अन्दर 25 करोड में से 21 करोड रूपया लग चुका है । 21 करोड रूपये लगाने के बावजूद भी जैसे चौधरी पोहलू साहब ने कहा कि हमें कोई हालात नजर नहीं आते कि यहां पर पानी आयेगा भी या नही। हम पंजाब वालों को बडा भाई समझते है। अगर हम बडे भाइ की बात के अन्दर वि वास नहीं करते तो वह महसूस करते है। लेकिन आज बडे भाई कि नियत में कुछ फर्क आ गया है इसलिये जो कुछ पैसा लगा उस बात को भूलकर हमें इस बात को नही भूलना चाहिये कि हरियाणा और पंजाब दो हिस्से बने और केवल एक वकफा को छोडकर इरिगे ान एंड पावर मिनिस्टर हमे ाा हरियाणा का रहा लेकिन हरियाणा की बदकिस्मती रह कि तब से

लेकर आज तक हरियाणा को पानी नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, अब बात सिर्फ पानी की नहीं है। मैं तो केवल एक बात कहकर बैठना चाहता हूँ—

लिख परदे । किस्मत में,

वतन को याद क्या करना,

जहां बेदर्द हाकिम हो,

वहां फरियाद क्या करना।

अब सवाल फायदे का नहीं है।। अब तो सवाल पानी के लेने का है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अन्दर जनता पार्टी की सरकार ने इस पानी को लेने लिये जो कदम उठाये हे वे ठीक है और मैं एक मੈम्बर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी सहयोग चाहेगी वह सहयोग हम देंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह(अटेली): माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, रावी व्यास के पानी का मामला इतना इम्पोर्टेन्ट है कि यह सै गान भुरू हुआ तो सैकडों की तादाद में असैम्बली के बाहर हरियाणा के किसान धना देकर बैठे हुये है। गांव-गांव में लोग परे गान हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाने के लिये हमने एक काम रोको तहरीक दी। आज सुबह चौधरी भाम गेर सिंह ने बताया थाकि 12.00 बजे सेकटेरी साहब को वह मो गान दे दी है। हम चाहते थे कि सरकार के उपर पूरा

दवाब डाला जाये और सरकार ने जो कुछ अब तक किया है उसका लेखा जोखा लिया जाये और उस पर नुक्ताचीनी हो। यह सरकार हरियाणा को कितना तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती है, डिप्टी स्पीकर साहब, वह आज जाहिर हो गया। हम तो चाहते हे कि सरकार का साथ दे ओर यह सरकारसारी पार्टियों को साथ ले। मगर यह सरकार अपने हकूक की हिफाजत नहीं करना चाहती। मुकाबले में पंजाब हैं हम भुरू से देख रहे हे कि अकाली दल हो या जनता पार्टी हो, ख्वाह जनसंघ के लोग है, ख्वाह सरकार है, या कोई सियासी पार्टी है, उन सब की एक ही आवाज है। वहां की सरकार सब को साथ लेती है जो बात अकाली दल की वर्किंग कमेटी करती है वही बात सरकार करती हे लेकिन यहां पर यह सरकार उलट कर रही है। आज भी लोगों को अन्धेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। जब हम तहरीक पे आ करना चाहते हैं कि सरकार का क्या काम था, उसको क्या करना चाहिये था तो वह चौधरी रिजक राम से भुरू करवा दी। पंजाब अपने हकूक के लिए क्यों न लड़ें, वहां पर सब को साथ लेकर चलते हैं हमें यह देखना है कि यह सरकार क्या करती है। जिस रोज से यह सरकार गद्दी पर बैठी है हम चेतावनी देते रहे है कि अकाली दल की वर्किंग कमेटी क्या कहती है पंजाब का चीफ मिनिस्टर क्या कहता है , फलां मिनिस्टर क्या कहता हे इसलिये आप यह काम इस तरह से नहीं कर पाओगे। मजबूत बनने की कोशिश करो। सारे हरियाणा को साथ लो लेकिन यह लोग आपस में ही लडते रहे। जो सरकार डेढ साल के अन्दर 14 दफा वजीरों को

भापथ दिलवाये वह सरकार हरियाणा और जनता के हित के लिये क्या कर सकती हैं.....

चौधरी संत कंवर: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांएट यह है कि मसला पानी का है ये पानी के उपर ही बोले। जो हमारी पार्टी का इंडिविजुअल मामला है, उस पर न बोलें।

राव बीरेन्द्र सिंह: आपके सामने पानी का मसला है कहां? आपसे में झगडा करने से फुरसत मिले तब पानी का ख्याल आएगा। (ठाकुर बीर सिंह की तरफ से व्यवधान) मैं आपसे क्या कहूं आप तो खुद बहुत दुखी है। मैं मानता हूं कि आपके दिल में हरियाणा के लिये दर्द है (व्यवधान)। आज यदि हम पीछे रखा गया और दूसरों की तहरीक पे ा हो गई लेकिन जहां तक हमारा फर्ज है हम उसको निभायेंगे। हम हरियाणा के साथ, हरियाणा की जनता के साथ और हरियाणा की सरकार के साथ अपना फर्ज निभायेंगे। जितनी दफा हमने कहा कि पंजाब ने मैमोरेन्डम दिया है कि पंजाब के साथ नाइन्साफी हुई है और यह बात अखबारों में आई लेकिन हरियाणा की सरकार कहती थी कि अखबारों पर एतबार न करो। जब भी हमने इस बारे में कुछ कहा हमको यही जवाब दिया गया। फिर पता लगा कि उस मैमोरेन्डम पर विचार हुआ है कि पंजाब के साथ क्या नाइन्साफी हुई है। हरियाणा ने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ हुई है। हमने इनको कहा कि यह आपकी नहर पंजाब में नहीं खुद रही है। कहां से रद्दी कागज

इन्होंने इक्ठे करके हमें दिखा दिये कि देखिये यह नोटिफिके न है। यह देखिये जमीन ले ली। 29 तारीख को कस्सी मानी जाएगी और कहा गया कि 8 मार्च को उद्घाटन होगा। अब साफ तौर पर बात सामने आ गई कि पंजाब एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देना चाहता। इतना जबरदस्त धोखा हो रहा है और यह सरकार न जनता को कन्फीडेंस में लेती है, न अपोजी न पार्टिज को कन्फीडेंस में लेती है, न हाउस को कन्फीडेंस में लेती है तो फिर इनको अपना हक मांगने का क्या अधिकार बनता है। पिछले सै नों में थीं डैम के बारे में जितनी बार भी सवाल आया ओर इनको बताया गया कि थीं डैम में आपका हम बिल्कुल काट दिया गया है, कुछ नहीं मिलेगा तो श्री वीरेन्द्र सिंह कहने लगे कि थीं डैम में हम अपना हक लेकर रहेगे। डिप्टी स्पीकर साहब, रावी बयास में हमें अपना हक नहीं मिल रहा है, थीं डैम में नही मिल रहा है। हमने हमे न ही यह कहा कि 3.5 एम0ए0एफ0 पानी हमें मन्जूर नहीं है, चण्डीगढ का जो फैसला किया गया है वह हमें मन्जूर नहीं था। हमारी पार्टी ने हमे न ही यह कहा कि हमारा हक ज्यादा पानी का है। चण्डीगढ हरियाणा को मिलना चाहिये था। फाजिल्का अबोहर तो 1966 में ही हरियाणा को मिल जाने चाहिये थे। रोपड की खरड तहसील 1966 में हरियाणा को मिल जानी चाहिये थी। भाह कमी न ने हमारे हक में फैसला दिया था। इन चीजों के बारे में इसी असैम्बली का रेजोल्यु न है और वह रेजोलू न आज तक कायम है कि यह सरकार कौन-कौन से इलाकों को लेकर रहेगी। यह

रेजोलू इन चौधरी राम लाल वधवा ने पे । किया था और यह इस असैम्बली का यूनानिमस रेजोलू न था। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से चौधरी रामलाल वधवा वजारत में आये है इन्होंने क्या किया? इस असैम्बली की सरकार को हिदायत थी कि जब तक अबोहर, फाजिल्का, चण्डीगढ, खरड, डेरा बसी, लालड के इलाके वापिस नहीं ले लेगी यह सरकार और यह असैम्बली चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन वही लोग जो रेजोलू इन पे । करने वाले थे, वजारत में आने के बाद उस रेजोलू इन का नाम नही लेते। अगर हरियाणा की जनता के सामने जाने का आपका मूंह है तो कल ही पिछले रेजोलू इन को रद्द करने का एक रेजोलू इन लाओ। आप लोगों से छुपते क्यों हो। प्राईम मिनिस्टर के यहां बडी मीटिंग्ज हुई। मैं भी देख रहा था कि कोई हमसे भी पूछे। कभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह दिल्ली घूम रहे है, कभी दिल्ली में चौधरी भजन लाल घूम रहे थे (व्यवधान)। चौधरी भजन लाल ने मुझ से कहा कि हमारे साथ दिल्ली चलो। मैंने कहा कि मैं साथ हूँ लेकिन चौधरी भजन लाल आप तो इरिगे इन मिनिस्टर नही है आप लोग प्राईम मिनिस्टर और बाबू जगजीवन राम के पास कैसे घूम रहे है। यह तो चीफ मिनिस्टर का काम है।

अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इस चीज को सिरीयसनेस देखते तो क्यों न अपनी टीम को लेकर जाते। डिप्टी स्पीकर साहब, कौनाल लिंक के लिये उसकी रिमांडलिग के लिये 21 करोड रूपये की इतनी बडी राशि खर्च हो चुकी है, इसी प्रकार नेहरू

कैनाल के उपर भी बहुत खर्च हो चुका है। लोहारू, जूई,सिवानी कैनालज है, ये सारी हिसार के इलाके से होकर जाती है। वेस्टर्न यमुना कैनाल का पानी रोहतक, भिवानी हिसार गुडगांव, महेनद्रगढ, जीन्द वगैरह हो कर जाता है। इस तरह से लोगों को यह उम्मीद हो गई कि हमें पानी अब य मिलेगा लेकिन आज क्या है किसी भी गांव में जाने को साफ रास्ता नहीं है, हरेक गांव में खाई खोद दी गई है। और उसका क्या नतीजा हुआ, आधी जमीन इधर चली गई और आधी जमीन उधर चली गई। जमीन की ऐसी बुरी हालत हो गई है कि वहां खेतों तक गाडी और बैल तक नहीं जा सकते ओर न ही वहां तक एक बूंद पानी की जा सकती है।

स्थानीय भासन मंत्री(चोधरी राम लाल वधवा): वह तो कांग्रेस राजय की प्रगति है।

राव बीरेन्द्र सिंह: अब आप हमारे मुंह से कहलवा कर ही रहोगें। मैं यह नही कहता कि कांग्रेस राज्य में बहुत अच्छे काम हुये है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो काम कांग्रेस राजय ने कर दिखाया , आधा पानी लेकर अवार्ड लेकर दिखाया वह हिम्मत आप लोगों में नहीं हो सकती, न ही आप लोग उतना काम कर के दिखा सकते है।

चौधरी राम लाल वधवा: आप तो पांच साल तक पार्लियामेंट में बैठे रहे ,हरियाणा के हक के लिये आपने तो एक लफज भी नहीं कहा।

राव बीरेन्द्र सिंह: चौधरी राम लाल जी, मैं पार्लियामेंट में न होता तो यह आधा पानी भी न मिलना था। आप तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाओ और म्यूनिसिपल कमेटियों से राज करो आपको पानी से क्या मतलब। आप जो हमें बोलने से टोक रहे हो, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। यह काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी (गोर एवं व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटिया: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा पवांयट आफ आर्डर है। यह जो राव साहब बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वे पार्लियामेंट में थे उस वक्त इन्होंने वहां पर हरियाणा के हक के लिये क्या किया था उस वक्त तो ये इन्दिरा गांधी की गोद में बैठे हुये थे। अब यह यहां पर यूं ही भाोर मचा रहे हैं कि मैंने हरियाणा के लिये यह किया, वह किया।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं जहां था, अब भी वहां हूँ, हरियाणा की जनता इसको भली प्रकार जानती है लेकिन फरीदाबाद के आदमियों को इसका क्या पता। सो मैं अर्ज कर रहा था कि ट्रेजरी बेचिंज की तरफ से बड़ी मजबूत बातें कही जाती हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि अगर हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार की कोई बेइनसाफी हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर उनका सचमुच यह स्टेन्ड है तो मैं उनकी इजजत करता हूँ, ऐसे मामलेमें हम उनके साथ हैं और कल को यह कह देना कि जो कुछ हो गया मैं तो उसको भी इन्साफ समझता हूँ, ऐसी बात को बर्दा त नहीं किया जायेगा। भाअिया

जी, जो केन्द्र का अवार्ड था उसको मैंने पार्लियामेंट में बैठकर पक्का करवाया था। अगर आप यह सारा कुछ करवा लेते हैं तो बड़ी खुशी की बात है जैसा कि आज हिन्दुस्तान टाइम्स में इसका है कि हम कभी नहीं मानेंगे, इस मामले पर दोबारा विचार नहीं होगा जोकि सरकार की तरफ से खबर है कि हरियाणा सरकार बड़ी होपफुल है कि अगर इस पर दोबार विचार हुआ तो हरियाणा को ज्यादा पानी मिल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम तो इसका यह मतलब समझते हैं कि आपने इस अवार्ड के उपर रि-कंसिडरेशन करना मान लिया है अगर आपने इस अवार्ड को रि-आपेन करना मान लिया है तो आप इस हाउस में बताएं और हरियाणा की जनता को कांफीडेन्स में ले कि आपने किस बिना पर विचार करने के लिये हां कर ली है क्या मजबूरियां भी आप को जिसके कारण आपने हां कर ली है, क्या दबाव था आपके उपर, इस बारे आपको इस हाउस में और हरियाणा की जनता को बताना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार का मामला नहीं है यह तो जनता का मामला है। जनता ने यह सरकार बनाई है, जनता से ही इस सरकार ने ताकत हासिल की है। हम मुट्ठीभर लोगों को जनता ने इस कोने में बिठा दिया है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम यहां पर बोल नहीं सकते हैं हरियाणा के हक के बारे में अगर हमारी आवाज को ये बन्द करना चाहे हम रेजोल्यूशन पे आ करना चाहते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन पे आ न होने दे। बीच में ही टोकते रहे, सही बात करना चाहे तो सही बात न करने दे, न स्वयं कुछ कहें, तो ऐसे

हालात के अन्दर मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आप हमें नहीं सुनोगे तो हमें बाहर जनता सुनेगी। आपको जनता को तसल्ली करवानी पड़ेगी। हम तो यह चाहते हैं कि हरियाणा की हक की लड़ाई में सभी साथ मिलकर लड़ो, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जो आपकी कमियाँ हैं हम उनको आपके सामने यहां पर न रखें और आप जनता को गूमराह करते रहे। अगर आज यहां पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर बैठे होते तो मैं पूछता जैसा कि उन्होंने पिछले सै।न मैं कहा था कि आप बोलो मत, बोलने से हमारे केस की खराबी होती है, हरियाणा का केस बिगड़ता है, आज वो बैठते तो मैं पूछता कि क्या अब भी न बोलूँ? हम ने उस वक्त कहा था कि वह 'हिन्दी-चीनी' वाली दोस्ती निभेगी नहीं, वही बात आज हो रही है अगर आप अपनी हिम्मत से लड़ना चाहते हो तो आप लड़ो, हम सब आपके साथ हैं, आप हमें उसका नतीजा दिखला दो, हम आपके पूरे समर्थक रहेंगे, अगर हरियाणा की भलाई के लिये कुछ न हुआ तो हम पूरी तरह से किटीसाईज करेंगे और जनता आपसे जवाब मांगेगी। इन लफजों के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपका भुक्तिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका भुक्तिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे समय देने में इन्साफ से काम लिया है राव साहब ने चौधरी जिक राम जी के रेजोल्यू।न पर यहां पर बहुत कुछ कहा है, हम

उनकी इज्जत करते हैं लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा का जो पानी का हक है, इस बारे में हरियाणा का जो समझौता हुआ है, वह यूँ का तूँ कायम है, इस बारे में किसी भी आनरेबल मैनबर या किसी बाहर के आदमी की दो राय नहीं हो सकती। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और दूसरे मंत्री महोदय इस मामले में, हरियाणा को अपना पूरा भोयर दिलाने के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सकती है, कर रहे हैं। मेरे विचार में इस बारे में जितनी हमारी पार्टियाँ हैं, सब एक हैं और मुझे आशा है कि वे इस मामले में एक ही होकर रहेंगी और सदा ही अपने हरियाणा के हक के लिए लड़ती रहेंगी। कई लोगों ने चण्डीगढ़ के मामले को उठाकर दोनों स्टेटों के प्यार को बिगाड़ने की जो कोशिश की है, वह कोई अच्छी बात नहीं थी। उस वक़्त बहुत से लोग मारे गये। फायरिंग हुई, झगड़े हुये और उन झगड़ों का नतीजा क्या हुआ? यह हुआ कि चण्डीगढ़ का किराया हम दे रहे हैं। ज्वॉयंट पंजाब में चण्डीगढ़ में पंचायत भवन बलाक समितियों और पंचायतों के फंड से बना था लेकिन अब कोई बाहर का आदमी आकर उसमें नहीं रह सकता बल्कि इस झगड़े की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में हमने दे दिया। इसलिये यह जो पानी का झगड़ा है इसको इस तरीके से टेक-अप करना चाहिये कि हमारी ओर पंजाब की दोस्ती बनी रहे। हमें इसको पोलिटीकल इजु बनाकर लोगों को नहीं भड़काना चाहिये। अभी मेरे साथियों ने कहा कि पानी का केस री-ओपन हो रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई केस री-ओपन नहीं हुआ है बल्कि

हमारा केस बहुत ही मजबूत है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत हाउस का बताना चाहता हूँ कि पंजाब के रकबें में ओर हमारे रकबें में बहुत मामूली अन्तर है। अगर किसी को यह गलतफहमी है हो कि पंजाब का रकबा ज्यादा है और हमारा कम है तो यह गलती उसे ठीक कर लेनी चाहिये। दोनों स्टेटों का रकबा लगभग एक जैसा हैं इस पानी पर सारा पैसा जो खर्च हुआ है यह सैंटर का हुआ है। सैंटर ने 110 करोड रूपया देकर पाकिस्तान से यह पानी लिया था। इसलिये सैंटर को यह राइट हैकि जिस स्टेट कोजितना पानी चाहे दे दे। मैं अपने भाइयों को कहूंगा कि पार्टी बाजी की बात को भूला कर हमें इकट्ठा होकर इस मामले को सुलझाना चाहिये। हम इस प्रकार से सोचें कि अगर हमारा हम मारा जाता है तो उसके लिये हम सब जिम्मेदार है और अगर हमारा हक हमें मिल जाता है तो उसका क्रेडिट भी सभी को मिलना चाहिये। हो सकता है बादल साहब की भी अपनी कुछ मजबूरी हो। वे भी समझते है कि अगर उनका थोडा बहुत पानी कम हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिये हमें प्यार से इक्ठे होकर इस मसले को सुलझाना चाहिये। पानी की आड में स्पीचें देकर लोगों के जज्बात नहीं भडकाने चाहिये। चण्डीगढ़ के मामले पर रिवाडी के अन्दर गोलियों से लोग मरवा दिये और चण्डीगढ़ लेने वालों को यह नहीं पता चला कि ये लोग कहां भाग गये? इसलिये कोई ऐसी बात न की जाये जिससे पंजाब के साथ हमारी भावना खराब हो।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुरीद अहमद पदासीन हुये)

जहां तक पानी का सवाल है इसे हम जरूर लेकर रहेगें। आपको पता होगा कि एल0आई0सी0 में कई डैड खाते पडे रहते हे और उस वजह से वह कमपनी अरबों रूपये बरतती रहती है। इसी तरह से हमारी तो कोर्ि । । यह भी है कि राजस्थान में अभी कोई नहर नहीं बनी और उसका हिस्सा पंजाब बरतता है, उस पानी को भी हम और पंजाब दोनों इस्तेमाल करें। हम तो यहां तक भी लडाई करने के लिये तैयार है इस पानी की तो बात और हैं जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसके लिये तो पंजाब भी खु । होगी कि वह पानी पाकिस्तान में न जाये। जनता सरकार यह सोच रही है कि नहरों में पानी किस तरीके से लाया जाये। पिछली कांग्रेस सरकार ने नहरें तो खोद गेरी लेकिन पानी लाने का कोई इन्तजाम नहीं किया। मैं पिछली सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पहले पंजाब के एरिया में नहर खोदनी कयों भारु नहीं की? चण्डीगढ ओर फाजिल्का-अबोहर के फ़ैसले के वक्त भी राव साहब वहीं बैठे थे और हम तो उस वक्त जेल में थै। उस वक्त उन्होंने आवाज कयों नहीं उठाई? अब इन्होंने सारे मुकदमें यहां पर लाकर रख दिया ताकि जनता सरकार तरक्की न कर सके। हम अब भी कहते है कि इस पानी के मामले में राव साहब पहल करें, हम उनके साथ है। लेकिन अगर यह लोगों को भडकाएगें तो हम इनके साथ नहीं होगें। चेयरमैन साहब, मैं तो

यह कहना चाहता हूं कि जो भी मूवमेंट चलाये वह सारी पार्टियों को कनफीडेंस में लेकर चलाएं चाहे वह कांग्रेस की पार्टी हो , चाहे वि गाल हरियाणा हो और चाहे इंडिपेंडेंट हो। मैं तो यह भी चाहता है कि अगर कोई आदमी मੈंबर भी न हो तो उसको भी हमें साथ लेने में हिचकचाना नहीं चाहिये । हमें यह लडाई प्यार से और तरीके से लडनी चाहिये। लोगों के जज्बात भडकाने के लिये जो लोग लडाई लडेगें उनका ऐंड अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री बलदेव तायल(हांसी): चेयरमैन साहब, सबको विदित है कि जो हमारी पानी की समस्या है यह बडी गम्भीर है। हरियाणा में भुरु से ही पानी की किल्लत है। आज के दिन भी हरियाणा के अन्दर कइ ऐसे इलाके हे जहां नहरी सिंचाई का तो प्र न ही नहीं उठता परन्तु पेय जल की भी कमी है। वहां बरसात का पानी जमा कर लिया जाता है और एक अरसे तक वह इस्तेमाल होता है। गर्मियों के अन्दर हालत यह होती है कि उसी पानी के अन्दर प गु नहाते है और उसी को पीने के लिये इसतेमाल किया जाता है। ऐसी हालत आज हजारों गांवों में है। इन हालात के अन्दर हरियाणा किसी भी कीमत पर अपने हिस्से के पानी को दूसरे प्रान्त को देना अफोर्ड नहीं करसकता है। और न ही देना चाहता है। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है मैं यह समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने इस विशय में जो-जो कदम उठाये है, वे ठीक और सही उठाये है। जब तक कोई भी पार्टी किसी बात से इन्कार नहीं करती तब तक झगडें का प्र न ही नहीं उठता।

बार-बार अखबारों में बादल साहब के स्टेटमेंट आते रहे हैं और वे हरियाणा को यकीन दिलाते रहे हैं कि हम हर कीमत पर पानी के एवार्ड को इम्पलीमेंट करेगें सदन में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो ऐ यॉरेजि दिलवाई वे लगभग पूरी हो चुकी है। इन हालात के अन्दर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी यह किस तरह कह सकती है कि दूसरी सरकार या दूसरी पार्टी जो वचनबद्ध है वह अपने कहे हुये से मुकर जायेगी। हमारी हरियाणा सरकार हर वक्त सजग रहती है ओर उसने यहां तक कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अपने पानी के हिस्से को छोडने के लिये तैयार नहीं है। इस संदर्भ में यह बात जरूर है कि पंजाब ने भुरू से हरियाणा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया । इसी कारण की वजह से पंजाब,हरियाणा और हिमाचल बना। इसके बाद जब भी कोई एवार्ड होता रहा तो उसको इम्पलीमेंट करने को कोर्ि । । नहीं की गई। अगर कोई कोर्ि । । होती भी थी तो वह खटाई में पडी रहती थी। आज जो कहते हैं कि यह सारी जिम्मेदारी जनता सरकार की है उनको यह बव य सोचना चाहिये कि पिछले 30 सालों में कितने एवार्ड हुये ओर उनमें से कितने इम्पलीमेंट हुये। जनता पार्टी कीसरकारकेवल एक वर्ष से हे, वह उन सारे फैसलों को एक दिन में कैसे इम्पलीमेंट करवा सकती है? इसके साथ-साथ मै यह भी अर्ज करता हूं कि कोई भी सरकार बने, वह हरियाणा के हितों का पूराख्याल रखे। जो पुराने फैसले हैं उनको अव य इमपलीमेंट करवाना होगा। पानी की समस्या बहुत बडी समस्याहै लेकिन जो अबोहर फाजिल्का की समस्या है वह एक छोटी सी समस्या है और

मेरे ख्याल में राव साहब की हिस्टरी में भी वह समस्या शामिल होगी और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्टरी की हिस्टरी में भी शामिल होगी।

असैट्स एंड लायबिलिटीज का बंटवारा 60:40 के हिसाब से हुआ है लेकिन लैजिस्लेटर्स होस्टल के कमरे हमें पूरे नहीं मिले, फ्लैट पूरे नहीं मिले। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि जो इतनी देर से यहां पर भाषण दे रहे हैं, उनकी सरकारें अपने लैजिस्लेटर्स के लिये कमरे और फ्लैट क्यों नहीं ले सकी.....?

राव बीरेन्द्र सिंह: हां, आप सारे चण्डीगढ़ पर कब्जा कर लो। उस वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हरियाणा को इन्कार कर देता।

श्री बलदेव तायल: लैजिस्लेटर्स होस्टल के 10 कमरे उनके पास ज्यादा हैं, फ्लैट भी ज्यादा हैं, और कई सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बजाये इसके कि सरकार को परे तान किया जाये, सारी पार्टियों, सारे लैजिस्लेटर्स और सरकार, एकजुट होकर फैसला करें कि किसी कीमत पर भी पानी के इस मामले पर कोई कम्परोमाईज नहीं होगा। हर कीमत पर हरियाणा अपने पानी की एक एक बूंद लेकर रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये कामयाब होंगे। प्रधान मंत्री इसमें मदालखत कर रहे

है और मुझे पूर्ण वि वास है कि हरियाणा के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो पायेगा।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल (छछरौली): चेयरमैन साहब, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो पहले हाउस में कही जा चुकी हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने रावी व्यास के पानी पर हमें अवार्ड दिया और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और मंत्री साहब से, यानि सारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि यह अवार्ड री-ओपन न होने पाये। हमें खतरा है कि अगर यह री-ओपन हुआ तो हमें और भी घाटे में रहना पड़ेगा। इस हाउस के मैम्बरान और जनता की राय है कि यह री-ओपन न होने पाये, नहीं तो हमारे साथ धोखा जो सकता है। पंजाब की बहुत बड़ी लौबी है बडा जोर है इसलिये री-ओपन नहीं होना चाहिये। हम गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को किसी आकवर्ड पोजी इन में नहीं डालना चाहते लेकिन हम सबसे पहले यह चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमेंट से जो बात करेंगे, उस में हाउस को कान्फिडेंस में जरूर लें, क्योंकि हो सकता है हम उनको कोई अच्छी सुजै इन दे सकें। हाउस के पांच सात मैम्बरान की एक कमेटी बना दी जाये जिसके सामने सैन्ट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की जाये ताकि यह माना जा सके कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने क्या बात कही, पंजाब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और इन सब बातों को सुन कर आपको कोई अच्छी सुजै इन दे सकें। हो सकता है कोई नेक राय मिल जाये। इस भावना से न देखा

जाये कि हरियाणा और पंजाब के अन्दर कोई झगडा हो रहा है। झगडे की भावना से हम बिल्कुल नहीं सोचते, हम सोचते है कि सारा हिन्दुस्तान एक है और जो अवार्ड हमें मिल चुका है उसको इमपलीमेंट करवाने के लिये हम बस को इक्ठे होकर लड़ना चाहियें।

श्री भाम ार सिंह (नरवाना): चेयरमैन महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने , रावी ब्यास के पानी के सम्बन्ध में कई किस्म की बातें कही। चेयरमैन महोदय, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30 साल तक राज किया और इसका राज हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान पर रहा। इस राज की जो कर गुजारियां है, अचीवमेंटस है, उनको सदन में डैनीग्रेट करने की कोर्ि । । की गई। मैं इन सारी बातों में नहीं आउंगा, लेकिन इन सारे दोस्तों की एक बात का उत्तर जरूर देना चाहता हूं। यहां पर इस बात की नुक्ताचीनी की गई कि नहर पहले उधर से खुदनी चाहिये। इधर से नहीं खुदनी चाहिये थी। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भुक् करो, नहर उस सरकार ने खोद दी। अगर आज पानी मिल भी जाये तो आप इस नहर को 20 साल तक भी नहीं खोद सकते, मौजूदा सरकार खोद नहीं सकती। चेयरमैन साहब, आप अच्छी तरह से जानते है कि जब पानी हरियाणा के इलाके में रिसीव करना है तो नहर का बनना बहुत जरूरी था। इनकी दलील है कि पानी आ जाये और पानी आने के बाद नहर खोदनी भुरू की जाये। भला ऐसा भी कभी होता है? पानी के लिये, बिजली के

लिये सारा स्ट्रक्चर पहले तैयार करना पड़ता है तब कही पानी या बिजली को रिसीव कर सकते हैं। उस सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है और हरियाणा में डिवल्पमेंट के काम किये। नहर खोदी है, इरीगे इन प्रोजैक्ट भुरू किये और हरियाणा की पूरी सेवा की है।। मौजूदा सरकार को हमारी अचीवमेंट्स को मानना चाहिये आज रावी-व्यास के पानी का डिस्प्यूट है। चेयरमैन साहब, मौजूदा सरकार से हमें एक गिला है ओर वह यह है कि आपस के झगडों की वजह से अपनी ना अहलियत नहीं कर सकी। रावी-व्यास के पानी का मसला हरियाणा के लिये बडा सीरियस मामला है , इसको दोबारा टेक-अप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार कनफ्रन्टे इन से बचना चाहती है और जो इ पू था, मसला था उसकी तरफ से इस तरह आखें बन्द कर लेती है जैसे कबूतर बिल्ली को देख कर आंखे बन्द कर लेता है जो कुछ सरकार को करना चाहिये था। वह नहीं किया। सरकार का केस क्या है? लीगल तौर पर, और हिस्टोरिकल तौर पर जो इस पानी की बैकग्रांड है, उसका जिक चौधरी रिजक राम जी ने किया हैं ज्वायंट पंजाब में एक कमेटी बनी थी और जिसने यह रिपोर्ट दी थी कि 3.8 मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा को दिया जाए। उस कमेटी ने 3.8 मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा को देना मंजूर किया था। हरियाणा का लीगल तौर पर, टेक्नीकल तौर पर क्या केस है इसके लिये कोई पमफ्लैट, कोई ब्रोचर सरकारतैयार नहीं कर सकी ओर हरियाणा के लोगों को प्रोपरली एजुकेट नहीं कर सकी और यही कारण है कि लोग अन्धेरे में है। दूसरी बात

यह है कि 26 तारीख से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हरियाणा में मुख्य मंत्री और दूसरे वजीर साहिबान बातचीत करने गये थे। उनको यह पता ही नहीं था कि मीटिंग का एंजंडा क्या है उस मीटिंग में एस0वाई0एल0 के बारे में बात होनी है, या कैरियर चैनल के बारे में बात होनी है, उनको खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एंजंडा क्या है? किस विषय पर बातचीत होनी है। हम सब लोगों ने यह बात कही कि हरियाणा का पानी का हिस्सा 3.5 मिलियन एकड फीट है, यह नैगोि एबल नहीं है, यह फैसला फाइनल हो चुका है, इस पर अपने कोई बात नहीं करनी है। उस वक्त सरकार ने यह स्टैंड लिया। दो रोज पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें हरियाणा के इस सवाल पर प्राइम मिनिस्टर साहब को, सैन्ट्रल गवर्नमेंट को बड़ी भारी गलतफहमी है, ऐसा अखबारों से जाहिर होता है ओर यह हरियाणा के लिये बड़ी नुकसानदेह बात है। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा गवर्नमेंट पानी के भोयर के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि फाइनल फैसला हो चुका है। लेकिन किसी वजह से हरियाणा का केस, प्राइम मिनिस्टर को हरियाणा गवर्नमेंट प्रोपरली पुट नहीं कर सकी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को गलतफहमी थी। उन्होंने इस पत्र का जवाब दिया कि अगर नहर की खुदाई की बात है तो आप ऐसा कानून बता दें जिसके तहत नहर खुद सके। नहर खोदने की बात करनी है तो श्री बरनाला जी से करें। वह मीटिंग खत्म हुई। इसके बाद अखबारों में जो खबर छपी आससे यह जाहिर होता है कि

हरियाणा सरकार दोबारा इस मसले को री-ओपन करने के लिये सहमत हो जाये मैं इस बात पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे से पहले श्री पोसवाल साहब ने और दूसरे मैम्बर साहिबान ने काफी कुछ कहा है। हरियाणा सरकार को इस बात पर स्टिक करना चाहिये, इस फैसले को काफी देर हो चुकी है, केस काफी डिले हो चुका है और इसको री-ओपन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक लीगल पोजी इन का ताल्लुक है, चेयरमैन साहब, पंजाब री-ओर्गेनाइजे इन एक्ट के नीचे सैन्ट्रल गवर्नमेंट फैसला करेगी। जब पहले यह फैसला हुआ था उस वकत दोनो पार्टियों से मावरा करके, सलाह करके 1976 में, सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने, यानि प्राईम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया था कि हरियाणा ओर पंजाब को आधा-आधा पानी दिया जाये और उनका जो फैसला हे वह बकायदा पंजाब रीआर्गेनाजे इन एक्ट के तहत है (17.00 बजे) जिसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बात का अख्तियार है कि वह डिसप्यूटिड मामले के बारे मे दोनो स्टेटस को कांफिडैन्स में लेकर फैसला करेगी। इसलिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट, अगर हरियाणा रजामंद न हो, इस सवाल को री-ओपन नहीं कर सकती। चेयरमैन साहब, सवाल नैक्सट यह है कि उस नहर की पंजाब के इलाके में खुदाई कैसे करवाई जाये। इसके लिये बहुत तफसील में न जाकर हम सिर्फ इतनी बात कहते है कि पिछले पांच छः महीने से जब से यह मसला भुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी का यह फर्म स्टैन्ड है कि इस कैरियर चैनल की पंजाब के इलाके में जल्दी खुदवाइ करवाइ जाये। आज से चार महीने पहले गवर्नर हरियाणा को हमने एक

मैमोरेन्डम दिया था जिसमें यह बात कही गई थी कि हरियाणा की जो नहर है कैरियर चैनल है पंजाब के इलाके में उसकी जल्दी खुदवाई करवाई जाये।, उसके लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर दिया जाये इसी महीने 9 अगस्त को जब सारे हिन्दुस्तान में 'सेव इंडिया डे' मनाया गया, हमने हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक मैमोरेन्डम दिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा की सतलुज जमुना लिंक कैरियर चैनल को पंजाब में भीघ्र खुदाये ओर पानी को जल्दी लेकर आये। चेयरमैन साहब, आज भी हरियाणा असैम्बली के बाहर 5-6 दिनों के लिये जितने दिन आपका यह सै न चलेगा, सारे हरियाणा के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वे धरना दिये बैठे है। (विघन)

चौधरी लाल सिंह: आन ए पवायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, सारे मुल्क की जनता की आखें में धूल डालने के लिये यह सारा प्रपच रचा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तीस साल तक ये कंहा थे?

श्री सभापति: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री भाम ोर सिंह: चेयरमैन साहब, हरियाणा की कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हरियाणा असैम्बली के भवन के बाहर धरना इस बात पर दिये बैठे है.....

श्री सभापति: आप यह भी बताये कि धरने से खुदाइ में क्या मदद मिलेगी?

श्री भाम ोर सिंह: ताकि वे हरियाणा की सरकार का, गवर्नमेंट आफ इंडिया का और हरियाणा के लोगों का इस बात की और ध्यान खीचें। आज यह हमारे लिये जिन्दगी ओर मौत का मसला है। वहां हमने स्लोगन लिखे हुये है। (विघन) जो मेरे भाई लाल सिंह जी जैसे है जिनको सिवाय मजाक के कोई और बात करनी ही नहीं आती, वे इस बात को नहीं समझ सकते लेकिन समझदार व्यक्ति यह महसूस करेगें कि हरियाणा के हित की बाते हमने वहां पर लिखी हुई है। हम इस मामले में बडे सीरियस है। हम इस बात के लिये लडना चाहते है और जनता पार्टी की सरकार यदि चाहे तो हम उसका साथ भी देना चाहते है। चेयरमैन साहब, इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक सैंटर के इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर श्री बरनाला के पास इस बात का चार्ज हे तब तक फैसला हमारे हक में होने वाला नहीं है। वे अकाली दल के वंकिंग कमेटी के मेंबर है। अकाली दल ने एक रैजोलयू ान पास किया हे कि वे हरियाणा को न तो पानी देगें और न ही नहर की खुदाई करने देगें। चेयरमैन साहब, मुझे बरनाला साहब की जात से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वे मेरे पडोसी है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि वे मेरे पडौसी है या रि तेदार है , सवाल तो हरियाणा के हित का है मेरा विचार यह है कि जब तक वे और उनकी मिनिस्टरी के औफिसर्ज इस केस को हैंडल करेगें तब तक किसी का हरियाणा के हित में इम्पाि रियल व्यु नहीं हो सकता। इसलिये हम बडी इज्जत के साथ प्राईम मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त कर सकते

हे कि वे इस इ पू का चार्ज किसी और मिनिस्टर को दे दे, पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: आपको बोलते हुये काफी टाईम हो गया है।

श्री भामेरा सिंह: चेयरमैन साहब, में एक बात और कहना चाहता हुं। यह जनता पार्टी सरकार दूसरी पार्टीज का कितना कोआप्रे न लेना चाहती है, कितनी उत्सुक है, कितनी कीन है इस बात के लिये कि हरियाणा का फायदा हो, उसका एक छोटा सा नमूना हरियाणा की असैम्बली में आज देखने में आया। आज दोपहर ठीक बारह बजे मैंने एक ऐडजर्नमेंट मो न रावी-व्यास के पानी के बारे में आठ एम0एल0एज0 से दस्तखत करा कर सेक्रेटरी को दिया। उसके बाद उसकी एक कापी ओफिस ने टाइप करवा कर मूवर्ज को सरकुलेट को दिया। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि न सिर्फ सरकार ने बडी भारी पा रियल्टी से काम लिया, ओछेपन से काम लिया और यह सोचा कि मो न कौन मूव करता है (विधान)ओछापन ही है क्योकि इसने सोचा कि अच्छी बात का क्रेडिट इसे ही हों। जब सरकार ने यह देखा कि इस बारे में तो कांग्रेस वालों ने धरना भुरू किया हुआ है ओर जब इन्होंने यह मो न भी दे दिया तो इसने अपने ही एक माननीय सदस्य से मो न हाउस में मूव करवा दिया। (विधान)

श्री सभापति: आपको काफी समय मिल गया है। अब आप यह पंवायट ज्यादा टच न करे।

श्री भाम ेर सिंह: चेयरमैन साहब,

Mr. Chairman: You cannot cast aspersion on the Speaker.

श्री भाम ेर सिंह: मैं यह बात पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं।

Mr. Chairman: Any remarks against the Speaker should be expunged.

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब ने यह बात कही कि उनको इस मो ान का पता नहीं था।

Mr. Chairman: Please do not cast aspersion on the Speaker. Whatever you have stated now, you shoud have objected to it at that time.

श्री भाम ेर सिंह: मैंने आब्जैक्ट किया था लेकिनउन्होने कहा कि उनको इलम नहीं है कि मो ान मिली है या नहीं। वे उसे कल कंसिडर करैगें।

Mr. Chairman: Please do not discuss the conduct of Speaker here.

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर ।

श्री भाम ार सिंह: चेयरमैन साहब,

Mr. Chairman: There is a point of order from Chaudhri Rizaq Ram.

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, माननीय चौधरी भाम ार सिंह जी ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और वे अब दुबारा इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो इनको इस बात का एतराज नहीं होना चाहिये था लेकिन फिर भी मैं उनकी इतलाह के लिये इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं इस मोे इन को बारह बजने से एक दो मिन्ट पहले देकर आया हूँ। इनको इस बात का मुगालता लग रहा है। हमें तो इस बात का कोई एतराज नहीं होता अगर ये इस मोे इन को मूव करते। मैं इस मोे इन को जैसा मैंने पहले अर्ज किया 12 बजने से कोई एक दो मिनट पहले देकर आया था और मेरी किसी गवर्नमेंट के आदमी से, न चीफ मिनिस्टर से और न ही किसी ओर मिनिस्टर से, कोई बात हुई थी। मैं अपनी मर्जी से इसे देकर आया था।

Shri Shamsheer Singh: This is not a point of order. It is only an explanation.

Chaudhri Rizaq Ram: I am on my legs.

Mr. Chairman: He is on his legs.

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, इनकी यह बात गलत है कि इनकी पोजी उन को पीछे रखते हुये ऐसी बात की गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इनको सुझाव देंगे कि इस बात को ये दुबारा रिपीट न करे।(विघन)

श्री सभापति: वे कह रहे हैं कि आप दुबारा इस बात को रिपीट न करे। (विघन) आप अपनी मो उन को 12 बजे देकर आये थे और ये बारह बजने से कुछ मिनट पहले देकर आये थे।

चौधरी भाम ेर सिंह: मुझे तो सरकार के बारे में डाउट है।

Mr. Chairman: That is un-founded.

Chaudhri Rizaq Ram: The Government is no-where in the matter.

Mr. Chairman: Yes, the Government is no-where in the matter.

चौधरी भाम ेर सिंह: इन सारी बातों के बावजूद भी, मैं आपके माध्यम से हाउस को यकीन दिलाता हूं कि अगर यह सरकार हरियाणा के हकुक की हिफाजत के लिये कोई कदम उठायेगी उसमें हम इनके साथ होंगे लेकिन अगर कोई कोताही करेगी तो हम इसके खिलाफ लडेगें।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, बंटवारा से पहले सन 1944 में 25 परसेंट पानी हरियाणा के पास था और 35 परसेंट पानी पंजाब के पास था। हरियाणा ने इस सारे समय के दोरान जैसा कि हमें याद है ओर जिससे ये सारे भामिल है 13 परसेंट पानी भी नहीं बढ़वाया है। हरियाणा के किसानों ने टयूबवैलों से पानी बढ़ाया है और पंजाब ने 70 परसेंट तक अपनी जमीन को नहरों से पानी देना आरम्भ कर दिया है। पानी बडी पाक चीज है, इसको ना-पाक नहीं करना चाहीये क्योंकि पानी का एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जो सब को सील ओर ठंडक पहुंचाता है। पंजाब में पानी की भुरुआत एक ऐसे महान आदमी ने की जिसके इरादे, जिसकी बिल, जिसकी आत्मा इतनी साफ थी, जिसको ब्यान नहीं किया जा सकता। उसकी आतमा केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिये ही साफ नहीं थी बल्कि सारे हिन्दुस्तान के किसानों के लिये साफ थी। सन 1932-35 में भाखड़ा का पानी किसी इंडीविजुअल किसान के लिये नहीं था। यह सारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिन्दुस्तान के हर किसान के लिये था। इस पानी को देने के लिये सर छोटूराम ने ही प्लान बनायी थी। अगर इस पानी के मसले को लेकर कोई आदमी झगडा पैदा करता है तो उस महान आदमी की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। उसने कभी यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तान का किसान, पंजाब का किसान या हरियाणा का किसान पानी के मसले को लेकर लडे या लड कर मर जाये। मैं इस विवाद पर उस पुराने आदमी की याद दिलाना चाहता हूं जिसने किसानो के लिये बहुत

कुछ किया हैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी यह कहता है कि मैं किसान हूं और पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी यही कहता है कि किसान हूं लेकिन पानी के मसले पर झगडा करते है तो उस महान आदमी सर छोटूराम की आत्मा पर धब्बा है। मैं तो यह कहे बिना नहीं रह सकता कि दोनो ही चीफ मिनिस्टरों पर धब्बा हैं मैं तो पंजाब और हरियाणा के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस पानी के झगडे में सैन्टर न आये। इस मसले को दोनो आपस में बैठ कर निपटाये, प्यार से निपटाये क्योकि पानी के बिना खेती नहीं हो सकती और इन्डस्ट्री नहीं लग सकती। अगर इन्डस्ट्री नहीं लगेगी तो इम्प्लायमेंट नहीं मिलेगी। तो पानी इतना इम्पोर्टेन्ट है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। हरियाणा की जमीन ज्यादा बारानी है और पंजाब की ज्यादा इरीगेटिड हैं जब हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर दावा करते है कि हम किसान है और किसानों की दिक्कत को समझते है तो यह पानी का मसला हल हो जाना चाहिये। उनको पता है कि किस इलोक के किसानों को पानी की आव यकता है। एस0वाई0एल0 का पानी बडी पाक चीज है। यह पानी हरियाणा के किसानों को जरूर मिलना चाहिये। इस पानी को हम जरूर लेगे मांग कर लेगे क्योकि पंजाब वाले भी हमारे भाई है। हम उनसे दबाव से और लड कर भी इस पानी को लेगे।

स्वामी अग्निवे I(पूंडरी): सभापति महोदय, रावी और ब्यास के पानी के विशय पर काफी देर से चर्चा चल रही है। यह

झगडा केवल पानी का ही नहीं है, अकाली भाई तो किसी भी बात को जो हरियाणा के हक में है, मानने के लिये तैयार नहीं है। उनकी हमें गाँधी धक्के गाँधी की भाशा हैं वे साफ कह रहे हैं कि चाहे उनका हक है या नहीं लेकिन वे इस पानी का नहीं देंगे। सैन्टर ने जो एवार्ड दिया है वह सलाह करके दिया है या बिना सलाह किये दिया है, वे इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि यह पानी हम नहीं देंगे और न ही कोई कैरियर चैनल बनने देंगे। हमें इस झगड़े को उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाली तो समझ नहीं सकते। हमें दुबारा सैन्ट्रल सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बात को किसी अनय सदस्य ने नहीं उठाया, केवल भामोरा सिंह जी ने जरूर उठाया है कि अगर पंजाब वाले इस नहर को नहीं खोदने देते हैं तो आप कैसे खुदवाओगे? इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी ने पूछा है कि आपके पास इस पिशय पर क्या विचार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से जवाब माँगा है और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, यह कुछ नहीं पता। हमारे सदन को इस मसले पर गम्भीरता से सोचना है। आज पंजाब के अन्दर एक विशाकत वातावरण तैयार कर दिया है, स्वयं प्रकाश सिंह बादल और दूसरे पंथ के लोग आम जनता को उकसा रहे हैं। हम सब लोग इस चीज से अनभिज्ञ नहीं हैं। पंजाब के अन्दर तो ऐसी हालत है कि किसी धार्मिक संस्था को सत्संग तक नहीं करने दिया जाता है और आप उनसे पानी की बात कर रहे हैं। वे तो मरने मारने के लिये तैयार हैं। हमें यह सोचना है कि इस विशय

पर हम क्या कर सकते हैं। और केन्द्रीय सरकार हमारी मदद क्या कर सकती है? यह वाटर ट्रीटी का सवाल है। यह इन्टरस्टेट डिस्प्यूट है। हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ भारत सरकार की ट्रीटी हुई है। सैन्टर ने एक फैसला किया कि पाकिस्तान को 110 करोड़ रूपया दे कर हम इतना पानी ले लेंगे। उस पानी को लेने के पचासत केन्द्रीय सरकार ने आलट कर दिया। जिस सरकार ने उस पानी को अलाट किया है वह उसकी जिम्मेदारी है कि उस फैसले को इम्पलीमेंट कराये। परन्तु आज हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको इतना असहाय समझते हैं कि इस मसले पर मैं क्या कर सकता हूँ। वे कहते हैं कि अगर पंजाब नहीं दे सकता है तो मेरे पास कौन सा अधिकार है। अगर वे इस तरह से कहेंगे तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। देश के अन्दर किसी भी राज्य के लिये एक बड़ा भारी मसला हो जाएगा। अगर पंजाब के अनुकूल कोई निर्णय होता है तो ठीक है वरना वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह तो वही बात है कि मीठी मीठी खा ली जाये और कडवी कडवी को ठीक दिया जाये लेकिन किसी राज्य की आकांक्षा के विरुद्ध कोई अवार्ड दिया जाये तो उसको इम्पलीमेंट किया जाना चाहिये। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है यदि इस अवार्ड को नहीं माना जाता है तो प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय जितने भी निर्णय किये गये हैं वे भी न माने जाये। सारे निर्णयों को री-ओपन किया जाये। अगर सारे मामले री-ओपन नहीं करना चाहते तो फिर इस अवार्ड को इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। उनको

कहना चाहिये कि हम किसी तरह भी इस वाटर अवार्ड के मामले को री-ओपन नहीं होने देगे। हमारा भी दृढ़ निश्चय होना चाहिये। इस विषय पर सारे सदन की भी यही राय है कि री-ओपन नहीं किया जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्टैन्ड रहना चाहिये, किसी भी धमकी में नही आना चाहिये और धमकी से इस मामले को री-ओपन नही करना चाहिये। क्या धमकी देना वही लोग जानते है। ताकत के बल पर किसी स्टेट को मीनरी नहीं चल सकती। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सदन की तरफ से हमारी केन्द्रीय सरकार को और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री को यह सन्देश पहुंचाया जाना चाहिये कि हरियाणा इस मामले को री-ओपन नहीं करना चाहते है। केन्द्रीय सरकार ने जो अवार्ड दिया है उसको दृढता के साथ लागू किया जाना चाहिये। यह इन्टर-नेशनल वाटर ट्रीटी का सवाल है। सैन्टर ने वह पानी दिलाया है। अगर सैन्टर ने नही दिलाया होता तो हम हरियाणा और पंजाब बैठकर इस बारे में फैसला कर सकते थे।

आदरणीय सभापति महोदय मैं तो आपके जरिये गुजारि करूंगा एक मिसाल है वह अच्छे टैस्ट में तो नहीं है लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि यह तो वह बात है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस मटर मटर करे जुगाली। जिसको हम समझाना चाहते है वह तो इस प्रकार की भाशा समझने के लिये तैयार नही है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सैन्टर के साथ तो बात करें परन्तु पंजाब के साथ बैठ कर बात करने के लिये तैयार नहीं होना

चाहिये (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये) पंजाब के साथ केन्द्रीय सरकार अलग से बात कर ले लेकिन हमारे सिंचाई और मुख्यमंत्री को पंजाब के साथ नहीं बैठना चाहिये। झगडा कहां पर है? अब सैंटर के दरवाजे पर हैं सैंटर से हरियाणा सरकार को साफ कह देना चाहिये कि तुत दिला सकते हो तो दिलाओ नही तो कह दो कि हम उस उवार्ड को इम्पलीमेंट नहीं करवा सकते, हमारे पास कोई सैव इन नहीं है। उसको इम्पलीमेंट करवाने की। उसके बाद लोग सोच लेंगे कि क्या कुछ होना चाहिये। तो इसके लिये अगर वे यह जानना चाहे कि हमारे पास क्या अथोरिटी है तो हमें उन्हे बताना चाहिये कि उनके पास कोन सी अथोरिटी है। आज करोडों रूपया पंजाब सरकार सैंटर से ले रही है। ऐसी बात नहीं है कि पंजाब सरकार अपने पैरों पर खडी है। क्या सैंट्रल गवर्नमेंट उन्हे यह नहीं कह सकती कि हम बार-बार इस झगडे को नहीं उठायेगे, एक झगडे को रीओपन करने में चार सौ झगडे उठेंगे। इसलिये जो हो चुका सो हो चुका। इस हिसाब से इस केस में भी जो हिस्सा जय हो चुका सो हो चुका और इसलिये सैंटर की सरकार को यह कहना चाहिये कि अब जल्दी से इसको लागू करो वरना सैंटर की तरफ से जो ग्रान्टस वगैरा मिलती है, पंजाब के लिये वह सारी ग्रान्टस बन्द कर दी जाये। पंजाब को ओर बहुत सी सुविधाये सैंटर की तरफ से दी जाती है, वह सारी बन्द की दी जाये। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो कह दें कि हमारे अन्दर दम नहीं है। फिर हमे सैंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम, माननीय सदस्य द्वारा रावी-बयास के पानी मिलने के बारे में एडजर्नमेंट मो इन लाया गया। 1966 में हरियाणा बनने से पहले जा `लडाई जारी थी उस समय हमारे मोजदू मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल जी ने एक पम्फलेट निकलवाया था। मैं उस समय कालेज में स्टूडेंट था। हमारे दिलों में भी हरियाणा बनान की बात थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से आज भी याद है कि उस पम्फलेट में यह लिखा हुआ था कि पंजाब का भठिन्डा डिसिट्रिक्ट जिसमें इरीगे इन जो नहरों से होती है वह 72.5 थी। यानि वहां पर जो टोटल नहरों के पानी से जिस भूमि में फसल पैदा होती थी वह 72.5 थी ओर वह उस डिसिट्रिक्ट में थी जो पंजाब का सबसे निचले नम्बर का था ओर इधर हरियाणा के अन्दर आप सुनकर हैरान होंगे कि भूमि की सिंचाई में रोहतक जिले का सब से उपर नम्बर था जिसका टोटल 56 प्वायंट कुछ था। तो इससे इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त में भी हरियाणा का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा सिंचाई होती हो पंजाब के उस जिले से जिमें सबसे कम सिंचाई होती हो कितना पीछे था। उस वक्त भी इसमें बडा भारी अन्तर था। जैसे मेरे साथी माननीय सदस्य चौधरी दलाल साहब ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के जो खेतीहर आदमी है ,जो ,खेती करने वाले आदमी है उनमे कोई फर्क नही होता लेकिन यही वजह है आप देख लीजिये पंजाब तो 30 लाख टन गेंहू खरीदता है इसके दूसरी तरफ हरियाणा साढे नो लाख टन गेहूं खरीदता है। इससे

यह साफ जाहिर है कि हरियाणा और पंजाब में पानी का बंटवारा गुरु से ही ठीक नहीं रहा। नैनल वाटर कमी इन की पिछले 20 साल से तो यह जानकारी है कि देश में जो कुल पानी है उसका 60 प्रतिशत पानी जो पहाड़ों से बहकर आता है, वह समुन्दर में बेकार बह जाता है और सिर्फ 40 प्रतिशत पानी ही ऐसा है जिसका भूमि की सिंचाई के लिये उपयोग होता है। उसकी पालिसी के मुताबिक रावी से लेकर ब्रहमपुत्र तक के दरियाओं को जोड़ने का एक प्रोग्राम है। मैं समझ नहीं सकता कि जब इस तरह का प्रोग्राम हमारी केन्द्रीय सरकारने तय किया हुआ है तो इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस की सरकार ने जो प्रोग्राम तय किया था, उसमें यह कभी नहीं सोचा गया था कि कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में कोई बाधा खड़ी की जाएगी। यह कभी भी सोचा नहीं गया था कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैरिटरी में से नहर गूजरने नहीं देगी या कोई गवर्नमेंट कोई नहर नहीं खुदने देगी। समस्या इस बात की नहीं है कि वह इसे खुदने देगे या नहीं। समस्या इस बात की है कि उस इन्फ्रस्ट्रक्चर को री-ओपन न किया जाये। आज समस्या इस बात की है कि हरियाणा की सरकार सैंटर की सरकार से यह पूछे कि नहर आप कितने दिनों के अन्दर खुदवाना शुरू करवा देंगे। आपकी केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वे हरियाणा सरकार को यह अनुरोध करवा सकें कि इस नहर की खुदाई एक महीने के अन्दर—दो महीने के अन्दर या 6 महीने के अन्दर शुरू करवा देंगे। अगर

ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार बहुत निर्बल हैं। अगर केन्द्रीय सरकार इतनी निर्बल है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के यहाँ से हरियाणा को कभी पानी नहीं मिलेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से और इस जनता सरकारसे, जिनके उपर जनता का विश्वास था और जिन्होंने एक नारा दिया था कि वे किसान के लिये काम करेंगे, किसान के हित के लिये यह पार्टी काम करेगी, एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें केन्द्रीय नेताओं से यह साफ कह देना चाहिये कि हम एक डैड लाईन मांगते हैं कि इस डेट तक यह नहर खुदनी भूख हो जायेगी। इन्हें यह चाहते हैं कि आप उन्हें यह कहें कि आप हमें एक डेट बता दें कि इस डेट तक हम नहर की खुदाई का काम भूख करवा देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे सिचाई मंत्री बार-बार यहाँ हाउस में यह कहते रहे कि हरियाणा और पंजाब के पानी के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी का दिया हुआ यह अवार्ड इर्रिवोकेबल है, वह नैगोशियेबल नहीं है। आज के अखबार से इस बात की समझ आती है कि हरियाणा की सरकार इस बात के लिये रजामन्द हो गई है कि उस अवार्ड को री-ओपन किया जाये। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा मन बना लिया है कि उस अवार्ड को री-ओपन कर लिया जाये। अखबार के मुताबिक 100 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान का इस पानी को लाने के लिये खर्च हुआ है। इससे हरियाणा के किसान को इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। जब तक यह नहर नहीं खुदेगी तब तक हरियाणा के किसान की आर्थिक अवस्था या

सो गल कन्डी न इम्प्रुव नहीं होगी। आज वह यसह सोचता है कि कब कैरियार चैनल बने और कब उसका भविश्य बने। आज इस नहर के बनने पर ही हरियाणा के किसान का भविश्य निर्भर करता है। आज कल तो वहां पर पानी भरा हुआ है लेकिन सूखे के दिनों मे रोहतक से आता हुआ किसान जब अम्बाला के पास से गुजरात है तो वहां पर कोई उएस पानी नहीं दिखाई देता। मैं स्पीकर साहब, आपके द्वारासरकार को यह वि वास दिलाना चाहता हू कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य है कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, वह एक जुट होकर मुख्यमंत्री और जनता सरकार के साथ उस लडाई में भामिल होंगे जिसमे हरियाणा के हक की मांग होगी क्योकि हरियाणा का भविश्य इसी पर निर्भर करता है। इस लडाइ में हम एक जुट हो कर उनका साथ देंगे। अगर पंजाब सरकार कोई डरावा या थ्रैट दे सकती है तो हरियाणा के पास भी बहुत से तरीके है पंजाब की सरकार की इकोनोमी हरियसाणा के उपर निर्भर करती है। मैं यह बात जोर के साथ कहना चाहता हू कि हम भी उनको थ्रैट दे सकते है। टिट फार टैट की पालिसी हमें अपनानी चाहिये। अगर कोई भाई हमें आखें दिखाता है तो उसके सामने अगर हम हाथ जोड कर खडे हो जाये तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं सदन में सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हू कि हरियाणा को एक मजबूत स्टेन्ड लेना चाहिये। अगर पंजाब हमे पानी नहीं देता है तो हमारे पास भी बहुत सी ऐसी चीजे है जो हम उनकी बन्द कर सकते है। जैसे की हमारे मुख्य मंत्री दोस्ती

का दम भरते हैं, मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही हमारे मुख्यमंत्री को चायें कि वह अपने बड़े भाई को यह समझायें कि जो ज्यादाती हमारे साथ हब तक होती रही है कम से कम वे तो अब न करे। किसानों के लीडर चौधरी सर छोटूराम कभी यह नहीं सोचते थे कि यह पंजाव के किसान को फालतू पानी मिले या हरियाणा के किसान को फालतू पानी मिले, उनका तो एक ही वि वास था कि जो आदमी हल मुंठ पर हाथ रखता है, वह किसान है ओर उसको पानी मिलना चाहिये। मैं यह वि वास रखते हुये कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के आई०पी०एम० साहब ने जो स्टैन्ड यहां पर आन दी फलोर आफ दी हाउस जिया है उसको नहीं बदलेगें क्योकि उसे बदलना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आई०पी०एम० साहब एक काबिल आदमी नजर आते हैं। मेरा विचार है कि वे मीटिंगों में जाकर हरियाणा के काज को अच्छी तरह से रिप्रेजैन्ट करेगें । धन्यवाद।

चौधरी लाल सिंह(नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूँ और खासतौर से हरियाणा के जो चुने हुये लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनता को गुमराह करने के लिये जो इन लोगों ने आडम्बर रचे हुये हैं और जिस तरीके से यह नारे लगा रहे हैं कि उनसे हरियाणा की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इन लोगों को न किसी के मरने से कोई मतलब है न किसी के जीने कोई

मतलब है। जिस पार्टी का बाहर जो धरना हे पता नहीं उसका नाम आई है या गई है.....

श्री भामोर सिंह: स्पीकर

साहब*****

श्री अध्यक्ष: जो सबजैक्ट अन्डर डिस्कशन है सिर्फ उस पर ही आप बोले।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, जब इन लोगो की हकूमत थी उस वक्त इन्होने लोगो के घरों के पानी के कनेक्शन काट दिये थे इन लोगो ने.....

श्री अध्यक्ष: जो विशय है आप उसी पर ही बोले।

चौधरी लाल सिंह: जिन लोगो ने हरियाणा की जनता को सताया था जेलों में बन्द करके सताया था लोगो के पानी बिजली के कनेक्शन काट दिये थे वे आज हरियाणा के लिए पानी मांग रहे है। उन लोगो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से ये हरियाणा की जनता को गुमराह नही कर सकते। ये वही लोग है जिन्होने जनता के साथ बहुत जुल्म किए थे और आज ये सैकंटेरियट के सामने बेड़े हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग तीस साल तक क्या करते रहे। तीस साल तक अन्होने पानी का बन्दोबस्त क्यों नही किया। हमें तो अभी बारह ही महीने हुये है। हम तो इस अर्से से इनके जुल्मों के कागज भी इक्ठठा नहीं कार पाए है।

इन्होंने अपने समय में बड़े गुनाह किये हैं। ये अगर गौडा बहुत काम करते तो आज यह नोबत ना आती। इन्होंने तो लोगों का पानी बन्द कर दिया था। जमींदारों को खत्म करने का इन्होंने कात किया। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम पानी जरूर लेंगे। हमारी पंजाब के साथ दोस्ती है और रहेगी। कोई आदमी हमें लडा नहीं सकता। दो भाई होते है वे घर में बैठ कर अपनी जमीन बांटते है और हम बैठ कर पानी बांटेंगे। हमारे प्राईम मिनिस्टर बडी सूझ बुझ वाले आदमी है। इस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टेंट लगाकर और नारे लगाकर जनता को गूमरासह नहीं कर सकते। जो इन्होंने जुल्म किए वे भी इनको पता लग जाएंगे और आनेवाला समय बताएगा कि ये लोग क्या करते रहे है। यह जो पानी का मसल है यह मसला जरूर हल होगा क्योंकि जनता सरकार ने एक ही नारा लगाया था पानी का प्रबन्ध और भ्रष्टाचार बन्द। हम इन बातों को पूरा करेंगे।

Mr. Speaker: Now I call upon the Hon. Minister, Chaudhri Verender Singh.

एक आवाज: आप थोडा समय और बढा ले तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: रूल्ज के मुताबिक इस पर दो घंटे के लिये डिस्कान हो सकती है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम का ऐडजर्नमैट मोशन एडमिट हुआ और

सरकार ने बड़ी खुशी के साथ उस पर बहस के लिये रजामंदी जाहिर की। स्वाभाविक है कि जिस मसले के साथ हरियाणा के लाखों लोगों की किसमत जुड़ी हुई हो उस मसले पर सरकार को बखुशी हर बहस हर सदस्य के विचार सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये और तैयार है। जहां तक कुछ सदस्यों ने अपने विचार रखे और अखबारों में कुछ ऐसी खबरें आईं उनसे कुछ भाक लोगों के मन में पैदा होना स्वाभाविक था। हालांकि न पंजाब सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का स्टेटमेंट है और न ही हरियाणा सरकार की तरफसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति का स्टेटमेंट है और न ही सैन्टर की तरफसे, इरिगेशन मिनिस्टरी की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ भाक पैदा हुआ और भायद उसी के कारण आज लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया है और उसी भांका के समाधान के लिये भायद इस ऐडजर्नमेंट मोशन की आवश्यकता पैदा हुई आपको पता है कि इस पानी के बंटवारे का कार्य सबसे पहले 24 मार्च, 1976 में हुआ। और रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट की जो धारा 78 है उसके तहत यह फैसला हुआ। रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 78 में एक धारा है जिसमें लिखा है कि अगर दो स्टेट्स आपस में एग्री न करें तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट को अख्तियार है कि उस इशू को डिटरमिन करें, आर्डर पास करें। इस सैकशन के तहत फैसलों को जिसे यह बात लिखी है 'आर्डर' बोलते हैं। 24 मार्च 1976 के आर्डर के मुताबिक 7 एम0ए0एफ0 पानी में से 3.5 एम0ए0एफ0 पंजाब को दिया गया और 3.5 एम0ए0एफ0 पानी हरियाणा के हिस्से में आया। आज कांग्रेस(आई) के नेता तथा राव

वीरेन्द्र सिंह बड़ी डींगें मारते हैं कि उन्होंने यह किया उन्होंने वह किया, हरियाणा के हकूक ही रक्षा करने वाले यही लोग हैं लेकिन अगर मैं खुलासा करूं तो मैं कह सकता हूं कि पानी के बारे में तो आज इस सदन में इन लोगों को यह गर्व नहीं करना चाहिये बल्कि मैं तो कहूँ कि इनको कुछ भारमाना चाहिये कि जो हक हमें मिलना चाहिये था वह खो बैठे हैं। 1960 में 15.85 एम0ए0एफ0 पानी गवर्नमैट आफ इंडिया ने पाकिस्तान से एक ट्रीटी में 110 करोड रूपये में खरीदा था और चाहे हरियाणा बनने के पहले या हरियाणा बनने के बाद जितनी भी कमेटियां मुकर्रर हुई हर कमेटी ने हमारा हिस्सा 3.5 एम0ए0एफ0 से ज्यादा मुकर्रर किया ओर इन लोगों ने 3.5 एम0ए0एफ0 पानी बान्ध कर रख दिया। स्पीकर साहब, अगर हमारे साथ इन्साफ होता, अगर हरियाणा की नीडज को देखते हुये इन्साफ किया जाता तो इससे कहीं अधिक पानी हमें मिलना चाहिये था राव साहब पांच साल लोक सभा के मँबर रहें, 24 मार्च 1976 का फैसला हुआ क्या उन्होंने कभी इस नाइन्साफी के बारे में वहां कुछ कहा। क्या ये किसी एक दिन की प्रोसिडिंग्स दिखा सकते हैं। लेकिन आज यह गर्व कर रहे हैं सिर्फ प्रोफेसर भोर सिंह ने एतराज किया कि 3.5 एम0ए0एफ0 जो पानी हरियाणा को दिया गया है वह कम है मैंने पन्द्रह दिन तक पार्लियामैंट की प्रोसिडिंग्स देखी हैं लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कुछ कहा हो और आज ये कह रहे हैं कि सरकार आज कुछ कमजोर नजर आ रही है आज कांग्रेस(आई) के नेता यहां तम्बू गाडकर लोगो की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि लोगो ने इनका हिसाब किताब चुकता कर दिया था और अब वे इनके चंगूल में आने वाले नहीं हैं अब तम्बुओं में बैठकर जो गीले भाषण देने से लोग इनके चुंगल में आने वाले नहीं हैं। अब हरियाणा के लोग इतने बावले नहीं रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लूक है कि जनता पार्टी की सरकार जो 21 जून, 1977 को हरियाणा में आई उसने इस पानी को लेने के लिये क्या किया, मैं इस बारे में राव वीरेन्द्र सिंह, चौधरी भामोर सिंह, चौधरी पोहलू सिंह राव दलीप सिंह का इन्वाइट करता हूँ और रिकार्ड से साबित कर सकता हूँ कि जिसदिन जनता पार्टी की सरकार बनी उसी दिन से इस पानी को लेने के लिये नहर की खुदाई के लिये हर तरीके से और अपनी काबलियत के मुताबिक पूरी कोशिश करते रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब हमने इसके लिये कोशिश नहीं की हो। राव साहब आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पर बड़े अफसोस की बात है कि वे जो नोटीफिकेशन जारी की गई है उसको रद्दी कागज बोलते हैं। उनको यह पता होना चाहिये कि नोटीफिकेशन सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस काम के लिये हमारी लगन थी, हम पीछे पड़े हुये थे कि हमने यह काम करना है, इसीजिये पांच किलोमीटर का नोटीफिकेशन जारी किया गया (गोर)। मैं फिर यह कहता हूँ कि राव साहब जैसे जिम्मेवार व्यक्ति का नोटीफिकेशन को रद्दी कागज कहना भाभा नहीं देता। सैकड़ों नोटीफिकेशन जारी थे और जैसे ही हमें इस बात का आभास हुआ कि अगर हम इस प्रकार चले तो हो सकता है कि भायद हरियाणा के लोगों को

पानी मिलने में देरी हो जाये तो हमने फोरी तौर पर मॅटर को टेकअप किया और सैन्ट्रल गवर्नमैट के पास उसी वक्त इमदाद के लिये पहुँचें। इस बात से आप सब लोग परिचित है। मुझे इस बारे में और बताने की आवयकता नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह: जब नोटीफिकेशन ठीक था तो फिर उनके पास क्यों गये थे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: राव साहब को यह बता देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हो चुकी है और दूसरी मीटिंग 2 तारीख को ढाई बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हते यह पूरा विवास दिलाया है कि उस दिन वे हमें पूरा बोलने का समय देगे ओर हमें अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर पर यह विवास है कि हरियाणा का हक हमें अवय दिलायेगें। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हरियाणा का जो पहले स्टैंड था, वही अब है, और उसी पर हम कायम है। हमें पूर्ण आशा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा इन्साफ करेगें और उसको पूरा उतारेगें। और जो थ्रीडैम का मसला था वह 25 साल से उलझा हुआ था जो कि अब जनता सरकार को हल करना पडा और वह भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने न केवल एक दिन में उसका हल करके दिखा दिया। इसी प्रकार जो नर्वदा पानी का मामला था, वह भी लटका आ रहा था ओर अब वह मामला हमारी जनतासरकार हल करने का प्रयत्न कर रही है। स्पीकर साहब, 24

मार्च, 1976 से लेकर एक साल तक कांग्रेस आई के लोग हकूमत करते रहे, तो उनहोने इस दौरान में क्या किया? अब हम से वे पूछते हैं कि जनता सरकार ने क्या किया हम उनसे पूछते हैं कि जब दोनो प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें थी तो उनहोने उस वक्त इस बात का निपटारा क्यों नहीं करवाया, अगर ये चाहते तो पंजाब के पोरबंदर से नहर निकलवा सकते थे लेकिन उनहोने कुछ नहीं किया और न ही किसी और को कुछ करने दिया और न ही कन्ट्री को सही ढंग से आगे बढ़ने दिया लेकिन आज मैं सदन को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के लोगों के साथ बेइन्साफी नहीं होने देगी।

श्री अध्यक्ष: मੈਂबर सहिबान, पिछले दोघंटे से इस एडजर्नमेंट मोशन पर जो कि चौधरी रिजक राम जी ने पेश किया जो डिस्कशन हुआ है उससे साफ जाहिर है कि हाउस में all shades of opinion और हाउस के सब सैक्टरों में इस मामले के उपर बहुत एजीटेटेड है। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो हाउस की फीलिंग है वह सैन्ट्रल-गवर्नमेंट तक कनवे करे। इसके साथ में एक और अनाउसमेंट करना चाहता हूँ कि भायद यह फीजिंग हो गई हो कि चौधरी रिजक राम जी का एडजर्नमेंट मोशन एडमिट हुआ है। इसी तरह का एडजर्नमेंट मोशन राव बीरेन्द्र सिंह जी ने भी सबमिट किया था जो किसी ओवर साईट की वजह से जब मैं हाउस में आया मेरे सामने पेश

नहीं हुआ था। तो मैं यह भी चाहूंगा कि इस एडजर्नमेंट में उन
के साथ राव वीरेन्द्र सिंह जी का नाम भी एसोसिएट किया जाये।

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till
2-00 P.M tomorrow the 29th August, 1978.

17.45 बजे

(The sabha then adjourned till 2-00 P.M.on Tuesday,
the 29th August, 1978.)